



आर्थिक मोर्चे पर सरकार का आक्रामक कदम: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की नई टीम अब राजस्व, व्यय, आर्थिक मामलों और सार्वजनिक उद्यम जैसे अहम मोर्चों को संभालेगी, एक ही दिन में सरकार ने की 18 वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती, यह नई टीम देश की आर्थिक दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी

# टैरिफ संकट पर केंद्र सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक!

नई दिल्ली। अमेरिकी टैरिफ संकट और आर्थिक चुनौतियों के बीच केंद्र सरकार ने कई मंत्रालयों में बड़े बदलाव किए हैं। वित्त मंत्रालय में चार नए सचिवों की नियुक्ति की गई है। ये नियुक्तियां व्यय, आर्थिक मामले, राजस्व और सार्वजनिक उद्यम विभागों में हुई हैं। इसके साथ ही वाणिज्य, श्रम और नागरिक उड्डयन मंत्रालयों के लिए भी नए प्रमुखों की घोषणा की गई है। कुल मिलाकर, 18 नए सचिवों को अलग-अलग विभागों में नियुक्त किया गया है। वी. वुआलनाम अब व्यय सचिव होंगे। वे मनोज गोविल की जगह लेंगे, जिन्हें कैबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वय) बनाया गया है। पीएमओ के अरविंद श्रीवास्तव राजस्व विभाग का नेतृत्व करेंगे। अनुराधा ठाकुर आर्थिक मामलों के विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगी। वे अजय सेठ की जगह लेंगी, जो मई के अंत में रिटायर हो रहे हैं। के. मोसेस चालई, जो अभी अंतर-राज्य परिषद में हैं, नए सार्वजनिक उद्यम सचिव होंगे।

**अमेरिका के मसले पर सरकार गंभीर** राजेश अग्रवाल वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं। वे अमेरिका के साथ होने वाले व्यापार समझौते के लिए

भारत के मुख्य वार्ताकार भी हैं। उन्हें वाणिज्य सचिव बनाया गया है। वे सुनील बर्थवाल के रिटायर होने के बाद पदभार संभालेंगे। उनकी नियुक्ति से यह संकेत मिलता है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। खासकर ऐसे समय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ घोषणाओं से वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मची हुई है। अग्रवाल 1994 बैच के अधिकारी हैं। वे आसियान और कृषि व्यापार जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर बातचीत कर रहे हैं।

**वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की नई टीम बनाने की कोशिश** एक ही दिन में वित्त मंत्रालय के तीन मुख्य विभागों - राजस्व, व्यय और आर्थिक मामले - के लिए नए सचिवों की नियुक्ति बहुत कम देखने को मिलती है। हाल के महीनों में, वित्त मंत्रालय में कई बड़े बदलाव हुए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि यह नया फेरबदल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ काम करने के लिए एक नई टीम बनाने की कोशिश है। ठाकुर और श्रीवास्तव के पास पांच साल से अधिक का अनुभव है, जबकि वुआलनाम के पास तीन साल से अधिक का कार्यकाल बाकी है। सभी



**अफसर काफी अनुभवी** वुआलनाम 1992 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी काम किया है। श्रीवास्तव पीएमओ में आर्थिक मामलों को संभाल रहे थे। इससे पहले वे वित्त मंत्रालय में बजट विभाग के प्रमुख थे। कर्नाटक में भी, उन्होंने कई सालों तक बजट का काम देखा और एशियन

डेवलपमेंट बैंक में भी काम किया। अनुराधा ठाकुर, जो हिमाचल कैंडर की अधिकारी हैं, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थीं। डीआईपीएम में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने एयर इंडिया के निजीकरण की तैयारी की थी। **इन मंत्रालयों में भी हुई फेरबदल** 1994 बैच के असम-मेघालय कैंडर के

अधिकारी समीर सिन्हा को नागरिक उड्डयन सचिव बनाया गया है। ओडिशा के संतोष कुमार सारंगी, जो वर्तमान में विदेश व्यापार महानिदेशक हैं, को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव नियुक्त किया गया है। कर्नाटक की 1991 बैच की अधिकारी वंदना गुरनानी कैबिनेट सचिवालय से श्रम मंत्रालय में जाएंगी। बिहार के राजित पुहानी

कोशल विकास सचिव होंगे। मध्य प्रदेश कैडर के 1994 बैच के अधिकारियों विवेक अग्रवाल (संस्कृति), पल्लवी जैन गोविल (युवा मामले) और हरि रंजन राव (खेल) को भी सचिव नियुक्त किया गया है। **सरकार विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध** छत्तीसगढ़ की निधि छिब्वर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में ओएसडी नियुक्त किया गया है। वे मई में सचिव का पद संभालेंगी। इस फेरबदल से सरकार की मंशा साफ झलकती है। सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। नए सचिवों की नियुक्ति से मंत्रालयों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। उम्मीद है कि ये अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और लगन से निभाएंगे। यह फेरबदल ऐसे समय में हुआ है जब देश की अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है। वैश्विक मंदी का खतरा मंडरा रहा है। महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में नए सचिवों के सामने कई चुनौतियां होंगी। उन्हें इन चुनौतियों का सामना करते हुए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

## बीजेपी कार्यकर्ता की कार से कुचलकर कांग्रेस नेता की मौत

सरपंच का चुनाव हार गया था आरोपी

कोंडागांव (छत्तीसगढ़)। शायी का सामान खरीदने जा रहे दंपती को शुक्रवार को तेज रफ्तार कार ने ग्राम डोंगरीगुड़ा के पास पीछे से जोरदार टक्कर मारा। हादसे में पति की मौत पर मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस के मुताबिक हेमंत भोयर निवासी मुलमुला की दुर्घटना में मौत हुई है। महिला चंपी भोयर घायल है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। बताया जा रहा युवक वर्तमान में मुलमुला पंचायत में वार्ड पंच और जिला युवा कांग्रेस में विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर था। हादसे के बाद स्वजनों ने कार ड्राइवर पुरेंद्र कौशिक पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह भाजपा का नेता है। उसने चुनावी रंजिश के चलते हत्या की है। हादसे के बाद पूर्व मंत्री मोहन मरकाम सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग अस्पताल पहुंचे और अस्पताल के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित कर दिया। माहौल तनावपूर्ण होते देख पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में लिया और जांच जारी रखने की बात कही। शनिवार सुबह मुदक के परिवर्जनों के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी पुलिस थाना पहुंचे और वाहन ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की



मांग करने लगे, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। कोंडागांव पुलिस ने घटना के बाद कार ड्राइवर पुरेंद्र कौशिक को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक मौत के बाद परिवर्जनों ने कार ड्राइवर पुरेंद्र कौशिक पर कार से दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है पीएम रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर दर्ज होगा। पूर्व मंत्री का आरोप- भाजपा के दबाव में काम कर रही पुलिस, पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने कहा कि पुलिस प्रशासन भाजपा नेताओं के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी शव को ले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो वे शव को कंधे पर लेकर पैदल ही गांव के लिए निकलेंगे। इसके बाद वे पैदल ही शव को लेकर गांव के लिए निकले।

## हेट क्राइम और मॉब लिंग्गिग मुआवजे पर 'सुप्रीम' सुनवाई 23 को



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट 23 अप्रैल को हेट क्राइम और मॉब लिंग्गिग के पीड़ितों को समान मुआवजा देने की याचिका पर सुनवाई करेगा। यह मामला उन पीड़ितों से संबंधित है जो नफरत के कारण अपराधों का शिकार हुए हैं। यह याचिका इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्मस (आईएमपीएआर) द्वारा दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस मामले में जवाब मांगा था। कोर्ट की यह सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि देश में हेट क्राइम की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में तहसीन पूनावाला मामले में केंद्र और राज्य सरकारों से हेट क्राइम के पीड़ितों को मदद देने के उपायों के बारे में जानकारी मांगी थी। अब, याचिका में यह मांग की गई है कि राज्यों द्वारा दिया जाने वाला मुआवजा

एकरूप और निष्पक्ष हो। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि हेट क्राइम और मॉब लिंग्गिग के पीड़ितों के परिवारों को समान मुआवजा मिलना चाहिए, जो हर राज्य में लागू हो। **मुआवजे में भेदभाव और धार्मिक पहचान को लेकर सवाल** याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि मुआवजा देने की प्रक्रिया में भेदभाव हो रहा है, और यह अक्सर पीड़ितों की धार्मिक पहचान पर आधारित होता है। कुछ मामलों में, पीड़ितों को मुआवजा उनके धर्म के आधार पर भिन्न-भिन्न मात्रा में दिया जाता है। इस प्रक्रिया में मीडिया कवरेज और राजनीतिक दबाव का भी प्रभाव देखा गया है, जिससे पीड़ितों के साथ अन्याय हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में निष्पक्ष और समान मुआवजे के दिशा-निर्देश जारी करने की उम्मीद है।

## कनाडा में बस स्टॉप पर पंजाब की छात्रा की गोली मारकर हत्या

नई दिल्ली। पंजाब की रहने वाली एक छात्रा की गुरुवार को कनाडा के हैमिल्टन में बस स्टॉप पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने कहा कि वह हमलावरों के टारगेट पर नहीं थी। हैमिल्टन पुलिस के अनुसार गोलीबारी शाम करीब 7.30 बजे हुई। पीड़िता की पहचान मोहोर्क कॉलेज की 21 वर्षीय छात्रा हरसिमरत रंधावा के रूप में हुई है। लड़की बस स्टैंड पर सार्वजनिक परिवहन का इंतजार कर रही थी। उसे सीने में गोली लगने के घाव के साथ पाया गया और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि एक काली मर्सिडीज एसयूवी में सवार यात्री ने एक सफेद सेडान में बैठे लोगों पर गोलियां चलाई और लड़की बीच में आ गई। उन्होंने कहा कि गोलीबारी के बाद दोनों कारें तुरंत घटनास्थल से भाग गईं। अधिकारियों ने कहा कि गोलियां पास के एक घर की पिछली खिड़की पर भी लगीं, जहां लोग टेलीविजन देख रहे थे। हालांकि, घर में रहने वालों ने किसी के घायल होने की सूचना नहीं दी है।

## चीन में इंसानों और रोबोट्स के बीच हुई दुनिया की पहली मैराथन दौड़

बीजिंग। चीन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह तकनीकी दुनिया में वक से कहीं आगे चल रहा है। जो नजारा अब तक आपने केवल साईंस फिक्शन फिल्मों में देखा होगा, अब वो हकीकत बन चुका है। बीजिंग में आयोजित एक अनोखे आयोजन में 21 ह्यूमैनॉइड रोबोट्स ने इंसानों के साथ 21 किलोमीटर की आधी मैराथन में हिस्सा लिया। यह पहला मौका है जब रोबोट्स को आधिकारिक रूप से इंसानों के साथ एक ही मैराथन में दौड़ने की इजाजत दी गई। इस ऐतिहासिक रेस में चीन के विश्वविद्यालयों, रिसर्च संस्थानों और टेक्नोलॉजी कंपनियों की टीमें शामिल हुईं। बताया गया कि कई टीमों ने इस रेस के लिए हफ्तों तक अपने रोबोट्स को तैयार किया और उनकी टेस्टिंग की। **कैसे हुई रेस की शुरुआत?** रेस की शुरुआत में सभी रोबोट्स को जिगजैग फॉर्मेशन में लाइन में खड़ा किया गया। हर रोबोट एक-



एक मिनट के अंतराल पर दौड़ शुरू करता। सबसे पहले **Tiangong Ultra** नाम का रोबोट दौड़ में उतरा, जिसे बीजिंग स्थित नेशनल एंड लोकल को-बिल्ट इंबोडिड एआई रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर ने बनाया है। ये इवेंट सिर्फ एक रेस नहीं बल्कि चीन की उस बड़ी कोशिश का हिस्सा है, जिसके जरिए वह रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दुनिया में सबसे आगे निकलना चाहता है। पब्लिक के सामने ऐसी हाई-टेक मशीनों को पेश करके चीन तकनीकी प्रगति का माहौल बना रहा है। हालांकि, कुछ

एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह दौड़ एआई की असली बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि हार्डवेयर की सहनशक्ति का प्रदर्शन ज्यादा है। ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एलन फर्न का कहना है, ये रेस असल में रोबोट्स के हार्डवेयर एंड्योरेंस का शो है। चीनी कंपनियां चलने, दौड़ने और डांस जैसे कौशलों को दिखाने पर ध्यान दे रही हैं, लेकिन ये मशीनें अभी भी वास्तविक उपयोगिता या मूल बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं देतीं। **क्या थे रेस के नियम** इस रेस में सिर्फ ह्यूमैनॉइड, बाइपेडल (दो पैरों वाले) रोबोट्स

ही भाग ले सकते थे। उनकी ऊंचाई 0.5 मीटर से 2 मीटर के बीच होनी चाहिए। व्हील या चार पैरों वाले रोबोट्स की अनुमति नहीं थी। टीमों को रेस के दौरान बैटरी या रोबोट बदलने की इजाजत थी, लेकिन हर बदलाव पर 10 मिनट की पेनल्टी लगती। रेस में रिमोट-नियंत्रित और स्वायत्त दोनों तरह के रोबोट्स ने भाग लिया। दौड़ की अधिकतम समय सीमा 3.5 घंटे रखी गई थी। जीतने वाला रोबोट हमेशा वही नहीं होता जो सबसे पहले फिनिश लाइन पार करता है। समय और पेनल्टी के हिसाब से विजेता तय किया गया। **इनाम की राशि** पहला पुरस्कार- 5,000 युआन (60,000) दूसरा पुरस्कार- 4,000 युआन (48,000) तीसरा पुरस्कार- 3,000 युआन (36,000)

## अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण और जानकारी के लिए शुरू हुई ई-मेल सेवा



जम्मू। बाबा अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बाबा अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालु, यात्रा से संबंधित किसी तरह की जानकारी के लिए ई-मेल भेज सकते हैं। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने हेल्प डेस्क के तहत दो ई-मेल की सेवा श्रद्धालुओं के लिए शुरू की है। बाबा अमरनाथ की यात्रा तीन जुलाई से शुरू होगी जो 38 दिन की होगी और 9 अगस्त को रक्षा बंधन वाले दिन संपन्न होगी। यात्रा के लिए एडवांस पंजीकरण 14 अप्रैल

से शुरू हुआ था जो ऑनलाइन व ऑफलाइन तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अनुसार आइटी हेल्प डेस्क एसएसबी में **ithelpdesksasbv@gmail.com** और आइटी हेल्प डेस्क एसएसबी 2 में **ithelpdesksas-bw@gamil.com** में किसी एक पर ई-मेल भेज कर यात्रा से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जा सकता है। श्रद्धालुओं से कहा गया है कि वे बार बार ई-मेल न भेजे। हालांकि यात्रा शुरू होने में अभी समय बाकी है लेकिन श्रद्धालुओं को यात्रा के पंजीकरण से लेकर कोई बात पूछनी हो या कोई अन्य जानकारी की जरूरत हो, तो वे ई-मेल भेज कर जानकारी हासिल कर सकती हैं।



# इंदौर में भारत इलेक्ट्रानिक्स लि. खोल रहा एआई का बड़ा सेंटर

**इंदौर।** इंदौर में 27 अप्रैल को होने वाली आईटी कॉन्क्लेव के दौरान आईटी क्षेत्र से जुड़ी चार कंपनियों के उद्घाटन होंगे और कुछ कंपनियों की आधारशीला रखी जाएगी। इस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होंगे। उसमें स्पेस्टेक नीति, एबीजीसी लैब, ड्रोन स्कूल आफ एक्सीलेंस और सायबर सुरक्षा सेंटरों को प्रदेश में खोले जाने की घोषणा होगी। इंदौर के सिंहासा आईटी पार्क में एमपीआरडोसी के सहयोग से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के लिए बड़ा सेंटर खोल रहा है। इसके अलावा साफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर भी तैयार है। इसका उद्घाटान मुख्यमंत्री मोहन यादव



करेंगे। जबलपुर आईटी पार्क में 25 करोड़ की लागत से एक बिल्डिंग बनाई गई है। उसमें आईटी से जुड़े संस्थानों को स्पेस दी जाएगी। इससे 500 आईटी प्रोफेशनलों को रोजगार मिलेगा। इस बिल्डिंग का वर्चुअली उद्घाटन होगा। देवास में कास्ट एनएक्स प्रायवेट लिमिटेड का स्टार्टअप पांच साल से संचालित हो रहा है। यह कंपनी भी अपनी सेवा का विस्तार कर रही है। जिसकी शुरूआत कॉन्क्लेव में होगी। इसके अलावा आईआईटी इंदौर की दृष्टि फाउंडेशन, जो टेकननोलॉजी, इनोवेशन हब और बिनेस इनक्यूबेशन सेंटर चलाती है। वह फाउंडेशन

सिंहासा आईटी पार्क में 120 सीटर का इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित कर रही है। इसे सात वर्षों तक इफ्रिटी शेयरिंग आधार पर संचालित किया जाएगा। इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री के हाथों होगा। आईटी विभाग के नोडल अधिकारी द्वारकेश सराफ ने बताया कि मध्य प्रदेश स्पेस्टेक नीति के तहत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अनुसंधान के लिए एक केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। इसकी रुपरेखा कॉन्क्लेव में रखी जाएगी। ड्रोन स्कूल आफ एक्सीलेंस एमपी ड्रोन पॉलिसी के तहत स्थापित किए जाना है। इसे लेकर भी चर्चा होगी। कान्क्लेव इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगी।

## अनुराग कश्यप का पुतला नदी में बहाया पुलिस में शिकायत दर्ज, फिल्म रोकने की मांग

**इंदौर।** इंदौर के नीरज याग्निक ने मशहूर फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ पलासिया थाने में शिकायत दर्ज कराई है। याग्निक ने आरोप लगाया है कि वर्तमान में देश में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चा जारी है और पश्चिम बंगाल की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे समय में अनुराग कश्यप की एक टिप्पणी को याग्निक ने ब्राह्मण समाज के खिलाफ निम्न स्तरीय और आपत्तिजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह और धर्मद्रोह की श्रेणी में आती है। याग्निक ने कहा, ब्राह्मण समाज जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त हिंदू समाज के कर्मकांडों में साथ देता है। मेरी भावनाएं इसलिए आहत हुई हैं क्योंकि मैं सबसे पहले एक देशभक्त भारतीय हूँ, फिर हिंदू और फिर ब्राह्मण।

मुख्यमंत्री से करेंगे मांग, फिल्म %फुले% की रिलीज रोकने की अपील नीरज याग्निक ने कहा कि वे सभी धर्मों और समाज के लोगों से अपील करते हैं कि जो देश को तोड़ने की मानसिकता रखते हैं, उनके खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने संबंधित टिप्पणी को लेकर एफआईआर के लिए शिकायत की है और उन्हें पूरा विश्वास है कि जल्द ही प्रार्थमिकी दर्ज की जाएगी। याग्निक ने मुख्यमंत्री को भी इस संबंध में पत्र भेजा है। उनका कहना है कि अनुराग कश्यप की फिल्म %फुले% को लेकर विवाद हुआ है, और यदि इस फिल्म के माध्यम से समाज में वर्षों पुरानी बातों को नए रूप में पेश कर गलतफहमियां या दंगे भड़काने की कोशिश की जाती है, तो इस



फिल्म को मध्यप्रदेश में रिलीज होने से रोकना चाहिए। याग्निक ने कहा कि वे इस मामले को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के संज्ञान में भी लाएंगे। इंदौर में विरोध प्रदर्शन, नदी में बहाया गया **अनुराग कश्यप का पुतला** इंदौर में श्री परशुराम सेना ने अनुराग कश्यप के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के सदस्यों ने निर्देशक का पुतला बनाकर कान्ह नदी में बहा दिया। परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने इस मौके पर कहा कि अनुराग कश्यप की ब्राह्मण समाज के खिलाफ की गई टिप्पणी उनकी गंदी मानसिकता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति गंदे नाले के पानी में ही बहाने योग्य है। साथ ही,

शुक्ला ने पुलिस से अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी जल्द गिरफ्तारी की मांग की। **शिकायत मिली है, जांच कर रहे हैं** इस पूरे मामले में इंदौर पुलिस ने प्रतिक्रिया दी है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रामस्नेही मिश्रा ने जानकारी दी कि उन्हें नीरज याग्निक द्वारा एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें अनुराग कश्यप द्वारा ब्राह्मणों पर की गई टिप्पणी का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि शिकायत के सभी तथ्यों को संज्ञान में लिया गया है और थाना प्रभारी को इस पर जांच के निर्देश दिए गए हैं। मिश्रा ने बताया कि सभी तथ्यों का परीक्षण किया जा रहा है और जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

## 30 अप्रैल को इंदौर में निकलेगी भगवान परशुराम की भक्त्य शोभायात्रा

**इंदौर।** सनातन धर्म की शक्ति और एकता का प्रतीक भगवान श्री विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम की जयंती इस वर्ष इंदौर में अभूतपूर्व उत्साह और भक्त्या के साथ मनाई जाएगी। सर्व ब्राह्मण युवा संगठन द्वारा आयोजित यह शोभायात्रा सनातन संस्कृति के गौरव को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। शोभायात्रा शास्त्र और शस्त्र के समन्वय से सनातन धर्म की एकता का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करेगी। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन शाम 6 बजे दीनदयाल उपाध्याय चौराहा स्थित भगवान परशुराम मंदिर से शोभायात्रा प्रारंभ होगी। हजारों समाज जन इस शोभायात्रा



का हिस्सा बनेंगे जो सनातन हिन्दू समाज की एकजुटता और अखंडता का संदेश देंगे। जिस प्रकार भगवान श्री राम केवल क्षत्रिय समाज के नहीं और भगवान श्री कृष्ण यादव समाज के नहीं बल्कि समस्त हिन्दू समाज

के प्रेरणा स्रोत हैं, उसी तरह भगवान श्री परशुराम भी संपूर्ण सनातनियों के आराध्य हैं। संगठन ने सभी सनातन हिन्दू समाज से इस शोभायात्रा में शामिल होने का आह्वान किया है। शोभायात्रा

आईटीआई रोड, हीरानगर थाने की ओर से मुड़कर फिर मंदिर पर समाप्त होगी। इसमें नासिक के ढोल, उज्जैन की श्री महाकाल डमरू मंडली, आदिवासी नृत्य, भगवान परशुराम से प्रेरित झांकियां, चलित भजन संध्या, बैंड, घोड़े और बगियां शामिल होगी। मातृशक्ति और संत समाज के नेतृत्व में यह यात्रा आगे बढ़ेगी। कार्यकर्ता पारंपरिक धोती-कुर्ता और महिलाएं चुनरी ड्रेस कोड में भाग लेंगी। शोभायात्रा से पहले ब्राह्मण समाज और अन्य समुदायों की विशिष्ट विभूतियों का सम्मान किया जाएगा। समापन पर भोजन प्रसादी वितरित होगी।

## सवाल पूछने पर गुस्साया पति, पत्नी को लात-घूंसें से पीटा

**इंदौर।** इंदौर में एक पत्नी को अपने पति से सवाल पूछना भारी पड़ गया। सवाल पूछने पर पति नाराज हो गया और पत्नी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर दी। जिसमें पत्नी को गाल, गले और पैर पर चोट आ गई। परिवार के अन्य लोगों ने इस विवाद में बीच-बचाव किया। इसके बाद पत्नी थाने पहुंची और पति के खिलाफ शिकायत कर दी। यह मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र का है। यहां के रूपनगर, छोटा बाण्डाड़

रोड निवासी चंचल साहू की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति आयुष साहू के खिलाफ केस दर्ज किया है। चंचल ने पुलिस को बताया कि घटना शुक्रवार की है। पति के घर आने पर मैंने उनसे पूछा कि आप रातभर से कहां थे? घर क्यों नहीं आए? तो इस पर मेरे पति आयुष कहने लगे कि मैं कहीं भी रहूँ, कहीं भी जाऊँ, तुमसे उसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वे मेरे साथ गाली-गलौज करने लगे। गालियां देने से मना

करने पर पति ने हाथ, मुक्कों से मारपीट की, जिससे महिला को गाल, गले और पैर पर चोट आई। मारपीट के दौरान महिला का देवर और काकी सास वहां आ गए और उन्होंने बीच-बचाव किया। घटना के बाद पति कहने लगे कि आज तो तू बच गई, आईदा अगर मुझसे कुछ पूछा तो जान से खत्म कर दूंगा। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

## ब्राह्मण समाज की सरकार से मांग

# भारत रत्न महामना पं. मदनमोहन मालवीय के नाम से हो रेती मंडी ओवरब्रिज

**इंदौर।** श्रीगौड़ ब्राह्मण समाज के साथ सर्व ब्राह्मण समाज और सर्व समाज की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी समाजों के प्रतिनिधियों ने शासन-प्रशासन और सरकार से अपील करते हुए रेती मंडी चौराहे पर बन रहे ओवरब्रिज का नाम हिंदू, हिंदी और हिन्दुस्तान को पहचान देने वाले भारत रत्न महामना पं. मदनमोहन मालवीय के नाम पर रखने की मांग की है। महामना पं. मदनमोहन मालवीय ओवरब्रिज संघर्ष समिति के पं. आदित्य उपाध्याय और पं. मयंक व्यास ने बताया कि पूर्व में भी श्रीगौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा मुख्यमंत्री,



महापौर, विधायक, पार्षद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया जा चुका है, जिनमें समाजजनों को सकारात्मक आश्वासन भी मिल चुका है। पूर्व में भी समाजजन रोटरी और ओवरब्रिज को लेकर जनप्रतिनिधियों से मिल चुके हैं। सर्व समाज ने मांग की है कि पं. महामना मालवीय चौराहा भी इसी स्थान पर है, तो ब्रिज का नाम भी महामना के नाम से ही किया जाना चाहिए। जनप्रतिनिधियों का आभार मानते हुए संघर्ष समिति की महत्वपूर्ण बैठक में आगामी कार्ययोजना को लेकर वरिष्ठजनों ने

मार्गदर्शन दिया। बैठक में अनिल जोशी, सुधाकर दुबे, हेमंत पंडित, राजेंद्र व्यास, अशोक कानूनगो, ब्रजेश जोशी, धीरज दुबे सहित कई समाजजनों ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर जया तिवारी, संगीता पंड्या, देवेन्द्र व्यास, अमित शर्मा, सुधीर उपाध्याय, शरद व्यास, सतीश शर्मा, वीरेंद्र कानूनगो, मनीष जोशी, ऋषभ दुबे, नितिन द्विवेदी, मिहिर व्यास, विपिन पंडित, मनीष व्यास, ललित मंडलोई आदि उपस्थित थे। संचालन दिलीप दुबे ने किया। आभार सुनील व्यास ने माना।

**इंदौर।** विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और नरसंहार को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। राजवाड़ा पर बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता और समाज प्रमुख एकत्रित हुए और यहां से पैदल कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया।

विश्व हिंदू परिषद के मंत्री यज्ञेश राठी, प्रचार प्रमुख गनी चौकसे एवं अनूप गहलोत ने बताया कि वक्फ कानून के विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल को जिस प्रकार हिंसा की आग में जलाया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को निर्बाध रूप से अपने षड्यंत्रों को क्रियान्वित करने की खुली छूट दी जा रही है, उससे स्पष्ट लगता है कि बंगाल की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है।



मुर्शिदाबाद से शुरू हुई यह भीषण हिंसा अब संपूर्ण बंगाल में फैलती हुई दिखाई दे रही है। शासकीय तंत्र दंगाइयों के सामने केवल निष्क्रिय ही नहीं अपितु कई स्थानों पर इनका सहायक या प्रेरक बन गया है। इससे पहले कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, केंद्र सरकार को प्रशासन का नियंत्रण व संचालन अपने हाथ में लेकर राष्ट्र विरोधी व हिंदू विरोधी तत्वों को उनके कुकर्मों के लिए कठोर सजा

दिलानी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने ममता बैनर्जी पर भी निशाना साधा। पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग की है कि साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आप अविलंब और त्वरित कार्रवाई करेंगी। ज्ञापन में मुख्य रूप से विभाग संगठन मंत्री अभिषेक उदैनिया, दिलीप जैन, पणू कोचले, तनु शर्मा, अविनाश कौशल, कृष्णा वर्मा आदि उपस्थित थे।

## इंदौर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बिछेगा मास्टर प्लान सड़कों का जाल

**इंदौर।** इंदौर में पश्चिमी बाइपास को बनाने की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन अब उससे जुड़ी मास्टर प्लान की सड़कों को बनाने की प्लानिंग भी की जा रही है, ताकि निर्माण के साथ बाइपास से शहर की कनेक्टिविटी भी हो सके। फिलहाल दस सड़कों को बनाने की योजना है। जिनकी लंबाई 100 किलोमीटर होगी। उनके निर्माण पर एक हजार करोड़ की लागत आएगी। इन सड़कों को निर्माण इंदौर विकास प्राधिकरण और नगर निगम मिलकर करेगा।

इसे लेकर अफसरों की बैठक भी हो चुकी है। इंदौर में जब पूर्वी बाइपास बनाया गया था तो उससे इंदौर की मास्टर प्लान सड़कों को जोड़ने का काम किया गया। एमआर-11, एमआर-11, एमआर-7 सड़क उससे जुड़ी है। इसके अलावा एमआर-3 की आधा हिस्सा भी बना है। बाइपास से तीन सड़कों को जोड़ने का काम पंद्रह सालों में पूरा हुआ। यह देरी पश्चिमी बाइपास पर न हो,



इसलिए डेढ़ सौ किलोमीटर लंबे बाइपास के निर्माण के साथ मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण भी साथ में किया जाएगा। इससे पश्चिमी बाइपास के आसपास बसाहट तेज होगी और रियल इस्टेट सेक्टर में भी तेजी आएगी। **पुरानी मास्टर प्लान सड़कें ही अधूरी** इंदौर में एमआर-1 से लेकर एमआर-12 तक सड़कों की पहले प्लानिंग की गई थी, लेकिन उनमें

से कुछ अभी भी नहीं बन पाई है। एमआर-11 बीते दस सालों से अधूरी है। निरंजनपुर से आगे यह सड़क नहीं बन पाई। इसके अलावा एमआर-4 का काम दस साल पहले पिछले सिंहस्थ मेले के समय शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक वह भी अधूरी है। एमआर- 9 और एमआर-3 सड़क भी बाइपास से इतने वर्षों बाद भी नहीं जुड़ पाई है।

## आश्रम से चोरी कर ले गया था कार, पुलिस ने दबोचा

**इंदौर।** सदर बाजार पुलिस ने कार चोरी करने वाले युवक नवदित्य को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से चोरी की कार भी बरामद कर ली है। यह कार कुछ दिनों पहले ही चुराई गई थी। इसके बाद से पुलिस चोर की तलाश कर रही थी। सदर बाजार थाने के इंस्पेक्टर यशवंत बड़ोले ने बताया कि 10-12 दिन पहले सांदिपनी आश्रम से एक स्विफ्ट कार चोरी हो गई थी। शिकायत के बाद टेक्निकल एक्सपर्ट और मुखबिर की मदद से आरोपी की तलाश की जा रही थी। आरोपी की जानकारी लगते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से चोरी की कार भी बरामद कर ली। पकड़ाए आरोपी का नाम नवदित्य उर्फ नंदू लश्करी निवासी तिलक पथ है। आश्रम से ही चाबी उठाकर वह कार चोरी कर भाग निकला था। वह कार को बेचकर पैसा कमाना चाहता था। फिलहाल उससे पूछताछ कर और भी जानकारी निकाली जा रही है।



वक्फ कानून में हुए संशोधन को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने जनहितैषी बताया

वक्फ के नाम पर आदिवासी क्षेत्रों में अवैध कब्जों पर लगेगी रोक

**सिटी चीफ भोपाल।**  
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ कानून में हुए संशोधन को ऐतिहासिक और जनहितैषी बताते हुए दावा किया है कि इससे आदिवासी क्षेत्रों में वक्फ के नाम पर हो रहे अवैध कब्जों पर रोक लगेगी। शनिवार को भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में अनुसूचित जनजाति मोर्चा की विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, केन्द्रीय राज्य मंत्री दुर्गा दास उईके, विधायक सावित्री ठाकुर, मप्र के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागरसिंह चौहान और एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कलसिंह भाबर सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद थे।  
**बिल से आदिवासी क्षेत्रों को मिलेगा संरक्षण**  
बैठक में वीडी शर्मा ने कहा कि पहले वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने वाले व्यक्ति को दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होती थी, उल्टा असली मालिक को ही यह साबित करना पड़ता था कि संपत्ति उसकी है। यह स्थिति खासकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में गंभीर समस्या बन गई थी। इसलिए संसद में संशोधित



वक्फ विधेयक लाकर इसे बदला गया। अब कोई भी केवल वैध दस्तावेजों के आधार पर ही संपत्ति पर दावा कर सकेगा। यह संशोधन खासकर अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारों की रक्षा करेगा। वीडी शर्मा ने बताया कि लोकसभा में

चर्चा के दौरान वक्फ बोर्ड की ओर से संसद भवन की भूमि को भी अपनी संपत्ति बताकर दावा प्रस्तुत किया गया था। इस तरह के असीमित दावे कहीं भी और किसी पर भी किए जा सकते थे। अब नए संशोधनों के बाद ऐसा तभी संभव होगा जब

आधिकारिक दस्तावेज हों।  
**8 लाख से अधिक संपत्तियां, पर रजिस्टर केवल 1088**  
बीजेपी अध्यक्ष ने जानकारी दी कि देश में वक्फ की कुल 8 लाख 72 हजार संपत्तियां हैं, लेकिन इनमें से मात्र 1088 संपत्तियां ही विधिवत रूप

से रजिस्टर्ड हैं। 4 लाख 2 हजार संपत्तियों का उपयोग हो रहा है और करीब 26,676 संपत्तियां दान में मिली हैं। इस व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों से होने वाली आमदनी का कोई ठोस लेखा-जोखा नहीं है।  
**पन्ना में मदरसे को लेकर आई शिकायत**  
वीडी शर्मा ने बताया कि हाल ही में पन्ना दौरे के दौरान कुछ अल्पसंख्यक लोगों ने उनसे मिलकर बताया कि वहां एक मदरसे में अवैध गतिविधियां चल रही हैं। उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। जब कलेक्टर से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि नोटिस दिया गया है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही। यह स्थिति कानून में स्पष्टता की कमी के कारण बनी थी, जिसे अब सुधारा गया है।  
**किराये पर दुकानों का ब्योरा भी संदेहास्पद**  
उन्होंने बताया कि पूर्व वक्फ बोर्ड चेयरमैन सनवर पटेल ने जानकारी दी थी कि बोर्ड की 150 दुकानों में से केवल 15 से किराया प्राप्त हो रहा है, जबकि बाकी दुकानों का कोई हिसाब

नहीं है और एक ठेकेदार उनका दुरुपयोग कर रहा है। ऐसे में यह जरूरी है कि कानून के दायरे में रहकर ही वक्फ संपत्तियों का उपयोग हो और समाज के हित में इनसे आय का उपयोग हो।  
**जनजागरण की जरूरत**  
वीडी शर्मा ने कहा कि अब समय है कि एसटी मोर्चा के कार्यकर्ता इस बिल से जुड़ी सच्चाई और इसके फायदों को समाज में ले जाएं। प्रदेश के 89 आदिवासी ब्लॉकों में यह जानकारी पहुंचाना आवश्यक है कि यह कानून किस तरह से उनके हक की रक्षा करता है। उन्होंने कहा कि जनता इस संशोधन से प्रसन्न है, लेकिन समाज के तथाकथित ठेकेदार दुखी हैं, क्योंकि अब उनकी मनमानी पर लगाम लगने वाली है।  
**संपत्तियों की आय शिक्षा और स्वास्थ्य में होगी खर्च**  
उन्होंने बताया कि नए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि वक्फ संपत्तियों से होने वाली आमदनी का उपयोग अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण में किया जाएगा। इससे एक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था स्थापित होगी।

राष्ट्रीय अधिवेशन में जुटे देशभर के एलपीजी वितरक, कहा-

भीख नहीं, हक चाहिए, मांगें पूरी न होने पर हड़ताल की चेतावनी

**सिटी चीफ भोपाल।**  
भोपाल। समन्वय भवन में शनिवार को देशभर के एलपीजी वितरकों का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से आए वितरकों ने ट्रेड से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया और एक सात सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया, जिसे केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के.के. धौरतिया ने कहा हम सरकार से भीख नहीं, अपने अधिकार मांग रहे हैं। पहले निवेदन करेंगे, फिर आंदोलन होगा। एलपीजी वितरक लंबे समय से आर्थिक और व्यवसायिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अधिवेशन के दौरान संगठन द्वारा वितरकों की समस्याओं पर आधारित एक विशेष पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इसमें मौजूदा प्रणाली में वितरकों को होने वाली दिक्कतों, लागत और जिम्मेदारियों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में वितरकों को



मिलने वाला कमीशन बहुत ही कम है, जबकि डीजल, वेतन, और वितरण लागत में कोविड काल के बाद से भारी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने मांग की कि प्रति सिलेंडर कमीशन को कम से कम 150 रुपए किया जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तेल कंपनियां कॉम्प्लीटीशन एक्ट का उल्लंघन कर रही हैं- जब कंपनियां कहती हैं कि जबरदस्ती सिलेंडर नहीं बेचना है, तो फिर वे वितरकों पर दबाव क्यों बनाती हैं?

**मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी**  
धौरतिया ने कहा, अब आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने का समय आ गया है। यदि हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो 25 हजार वितरक अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हर वितरक कम से कम 50 साथियों को जोड़कर मंत्रालय तक हमारी आवाज पहुंचाए। उन्होंने कहा कि उवला योजना की सफलता में वितरकों का सबसे बड़ा योगदान रहा है- हमने सैकड़ों किलोमीटर

दूर जाकर जरूरतमंदों तक गैस पहुंचाई। 12-12 घंटे काम करते हैं, फिर भी कंपनियों की ओर से दबाव झेलते हैं। संगठन के अध्यक्ष बी.एस. शर्मा ने कहा, हमने कंपनियों के साथ एक स्पष्ट एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें लीकेज सुधारने की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ऐसे में वितरकों पर लीकेज के लिए दबाव डालना अनुचित है। इस दोहरी नीति को तत्काल समाप्त किया जाए।  
**मांग पत्र में 7 सूत्रीय बिंदु शामिल किए गए**  
कमीशन दर में वृद्धि  
तेल कंपनियों से अनुबंधों की पुनः समीक्षा  
मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन गाइडलाइन (एमडीजी) को समाप्त करना  
सिलेंडर लीकेज की जिम्मेदारी से वितरकों को मुक्त करना  
अतिरिक्त स्टॉक की बाध्यता समाप्त करना  
उवला योजना में पेनल्टी से राहत  
सेल्स अधिकारियों के दबाव से राहत

भोपाल हज हाउस में हर माह हज-उमरा ट्रेनिंग की मांग

**सिटी चीफ भोपाल।**  
भोपाल। मध्य प्रदेश हज कमिटी के पदाधिकारियों से भोपाल के हज हाउस को पूरे वर्ष सक्रिय रूप से इस्तेमाल करने की मांग की है। भोपाल के सामाजिक कार्यकर्ता व हाजी मोहम्मद इमरान हारून ने यह सुझाव दिया है कि हज हाउस का उपयोग सिर्फ हज फॉर्म भरने और टीकाकरण तक सीमित न रखकर इसे वर्षभर हज व उमरा प्रशिक्षण केंद्र के रूप में चलाया जाए। फिलहाल, भोपाल का हज हाउस अधिकांश समय खाली पड़ा रहता है, जबकि हज यात्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न



अस्थायी कैंप आयोजित किए जाते हैं। इमरान हारून का कहना है कि ये कैंप पर्याप्त नहीं हैं और हज हाउस को स्थायी प्रशिक्षण केंद्र बनाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया

कि यहां हर महीने हज और उमरा से जुड़ी जानकारी, दुआएं व अरकान की शिक्षा दी जानी चाहिए। मोहम्मद इमरान हारून ने बताया कि उमरा भी एक महत्वपूर्ण

धार्मिक यात्रा है, जिसमें तवाफ, सई और दुआओं का विशेष महत्व होता है। अगर उमरा जाने वालों को भी यहां प्रशिक्षण दिया जाए, तो वे बेहतर ढंग से इसकी अदायगी कर पाएंगे। इसके अलावा, हज यात्रा पर जाने वालों को भी पूर्व प्रशिक्षण मिलने से वे अधिक सजगता से रीति-रिवाज पूरे कर सकेंगे। इमरान हारून ने महाराष्ट्र के मुंबई हज हाउस का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां आईएसएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग चलाई जाती है, जिससे मुस्लिम समुदाय के युवाओं को लाभ मिलता है।

ब्राह्मण समाज ने सार्वजनिक शौचालयों में लगाई अनुराग की फोटो

फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप की टिप्पणी पर विवाद

**सिटी चीफ भोपाल।**  
भोपाल। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर ब्राह्मण समाज को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से पूरे देश में ब्राह्मण समाज के बीच आक्रोश फैल गया है। उन्होंने कथित तौर पर पोस्ट किया, ब्राह्मणों पर मूत्र विसर्जन करूंगा... क्या कर लेंगे ब्राह्मण? इस टिप्पणी को



लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने तीव्र विरोध जताया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंडित पुष्पेंद्र मिश्र ने बताया कि समाज इस अपमानजनक टिप्पणी को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि शुक्रवार दोपहर मनोहर डेयरी के पास स्थित मूत्रालय में अनुराग कश्यप की तस्वीर लगाकर

ब्राह्मण समाज के सदस्यों ने विरोध स्वरूप उस पर प्रतीकात्मक मूत्र विसर्जन किया। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेशभर में अलग-अलग स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों में अनुराग कश्यप की तस्वीरें लगाई जा रही हैं और सभी ब्राह्मण बंधुओं से अपील की जा रही है कि वे वहां पहुंचकर विरोध दर्ज कराएं। एफआईआर की मांग

और संभावित चक्का जाम पंडित पुष्पेंद्र मिश्र ने जानकारी दी कि वे भोपाल पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करेंगे। उनका कहना है कि यदि इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा और जगह-जगह चक्का जाम किया जाएगा।



### सम्पादकीय

## वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, पूरी तरह नहीं लगी रोक

संशोधित कानून के लगभग 40 अन्य प्रावधान हैं, जिन पर न तो यथास्थिति का आदेश है और न ही रोक लगाई गई है। अर्थात नया कानून अक्षरशः लागू है। ऐसे बयान ओवैसी जैसे याचिकाकर्ताओं ने दिए हैं। सरकार उन प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर सकती है। मुसलमान होने या इस्लाम के 5 साल के अभ्यास वाले प्रावधान को भी न्यायिक पीठ ने छुआ तक नहीं है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि यह विशेष स्थिति है। हमने कुछ कमियों की ओर इशारा किया है। कुछ सकारात्मक चीजें भी हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि इतना बड़ा बदलाव किया जाए कि पक्षकारों के अधिकार प्रभावित हों।

बेशक सर्वोच्च अदालत ने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों पर ‘अंतरिम आदेश’ जारी किया है, लेकिन कानून पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई है। ‘अंतरिम आदेश’ भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए, केंद्र सरकार की अंडरटेकिंग के बाद ही, जारी किया गया है। केंद्र की सहमति रही कि अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। यदि राज्य बोर्ड में ऐसी नियुक्ति की जाती है, तो उसे ‘शून्य’, अमान्य समझा जाए। वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों, पंजीकृत, राजपत्रित या गैर-पंजीकृत, को ‘डी-नोटिफाई’ नहीं किया जाएगा। बताया जाता है कि वक्फ बाय यूजर की 4 लाख से अधिक संपत्तियां हैं। जांच या सर्वे के बाद कलेक्टर वक्फ संपत्ति पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। इन प्रावधानों पर सॉलिसिटर जनरल ने सर्वोच्च अदालत की न्यायिक पीठ को आश्वस्त किया है कि यथास्थिति बनी रहेगी। केंद्र 7 दिनों की स्वीकृत अवधि के दौरान अपने साक्ष्यों, दस्तावेजों और दलीलों के साथ जवाब सर्वोच्च अदालत में दाखिल करेगा। वैसे न्यायिक पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 5 मई तय की है, लिहाजा तब तक यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। यहां गौरतलब यह है कि 13 मई को प्रधान न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस भूषण गवई अगले प्रधान न्यायाधीश होंगे। जाहिर है कि नए सिरे से न्यायिक पीठ का गठन होगा। नए सिरे से मामले की सुनवाई होगी। सवाल है कि क्या यह मामला शीर्ष अदालत में लंबा खिंचेगा अथवा कुछ लटक कर रह सकता है। जस्टिस खन्ना ने इस मामले को ‘अपवाद’ के तौर पर ग्रहण किया। वह नहीं चाहते थे कि व्यापक स्तर पर कानूनी सुधार करने से पक्षकारों के मौलिक अधिकार प्रभावित हों, लिहाजा ‘अंतरिम आदेश’ भी जारी किया गया। बहरहाल वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर यथास्थिति का ‘अंतरिम आदेश’ दिया गया है। परोक्ष भाव से उन प्रावधानों पर रोक लगाई गई है, लेकिन संशोधित कानून के लगभग 40 अन्य प्रावधान हैं, जिन पर न तो यथास्थिति का आदेश है और न ही रोक लगाई गई है। अर्थात नया कानून अक्षरशः लागू है। ऐसे बयान ओवैसी जैसे याचिकाकर्ताओं ने दिए हैं। सरकार उन प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर सकती है। मुसलमान होने या इस्लाम के 5 साल के अभ्यास वाले प्रावधान को भी न्यायिक पीठ ने छुआ तक नहीं है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि यह विशेष स्थिति है। हमने कुछ कमियों की ओर इशारा किया है। कुछ सकारात्मक चीजें भी हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि इतना बड़ा बदलाव किया जाए कि पक्षकारों के अधिकार प्रभावित हों। इस्लाम के 5 साल अभ्यास वाला प्रावधान भी है, लेकिन हम उस पर रोक नहीं लगा रहे।’ न्यायिक पीठ ने ‘लिमिटेशन एक्ट’ वाले प्रावधान को भी नहीं छुआ और न ही उस पर कोई आदेश दिया। ओवैसी का मानना है कि हमें उसका नुकसान होगा, क्योंकि इससे वक्फ संपत्तियों पर कब्जेबाजों को फायदा होगा। बहरहाल यह फिलहाल अंतिम आदेश नहीं है। अभी लंबी कानूनी लड़ाई चलेगी। ‘अंतरिम आदेश’ पर ही जो नेता और पार्टी प्रवक्ता ‘बड़ी जीत’, ‘मोदी को आईना’, ‘मोदी सरकार को बहुत बड़ा धक्का’ और ‘मुंह की खानी पड़ी’ सरीखी टिप्पणियां कर फुलफुला रहे हैं, क्या ये अदालत की अवमानना नहीं है? अदालत ने सिर्फ वक्फ के नए कानून पर ही आदेश जारी नहीं किए हैं, बल्कि 1995 और 2013 के वक्फ कानूनों के कई प्रावधानों पर भी नोटिस भेजे हैं। वक्फ गली-गली फैले हैं। वक्फ की करीब 47 फीसदी संपत्तियां पंजीकृत नहीं हैं। ये मुद्दे पहले के संशोधन कानूनों पर बहस के दौरान भी उठे थे, लेकिन कोई आखिरी फैसला नहीं किया जा सका। ज्यादातर मुस्लिम संगठन, पार्टियां और पर्सनल लॉ बोर्ड नए कानून को ही पूरी तरह ‘असंवैधानिक’ मान रहे हैं, लिहाजा कानून को ही निस्त करने की मांग कर रहे हैं। घोर आपत्तिजनक बयान भी मौलाना दे रहे हैं। क्या बाद में अदालत इनका भी संज्ञान लेगी, क्योंकि ये देश की एकता, अखंडता और सौहार्द को खंडित करते हैं।

## ममता सरकार की नीतियों से कमजोर होता शासन तंत्र

सत्ता में काबिज रहने के लिए आम लोगों की जान-माल से किस हद तक खिलवाड़ किया जा सकता है, इसका मौजूदा उदाहरण पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। पश्चिम बंगाल देश का ऐसा अकेला राज्य है जहां वक्फ बोर्ड के विरोध में हिंसा हुई है। वैसे देश के ज्यादातर राज्यों में इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन तक नहीं हुए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में तीन लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ममता ने हिंसा के बाद कहा है कि पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं होगा। ममता बनर्जी का कहना है कि यह कानून केंद्र सरकार ने बनाया है और उन्हीं से इसका जवाब मांगा जाना चाहिए। यह पहला मौका नहीं है जब ममता ने वोट बैंक की खातिर मुस्लिम प्रेम दर्शाया है। इससे पहले ही मुख्यमंत्री ममता सरआम मुस्लिमों की हिमायत कर चुकी हैं। रोहिंया मुसलमानों के मामले में भी ममता ने इसी तरह के प्रेम का इजहार किया था। ममता ने कहा था कि सभी रोहिंया आतंकवादी नहीं हैं, जबकि केंद्र सरकार ने संकटग्रस्त समुदाय को निर्वासित करने के अपने रुख पर कायम रहते हुए कहा था कि उनमें से कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों से जुड़े हुए हैं। तब भी ममता ने इनकी पैरवी करते हुए कहा था कि आतंकवादियों और आम लोगों के बीच अंतर होता है। हर समुदाय में अच्छे और बुरे लोग हो सकते हैं, लेकिन एक समुदाय, एक समुदाय होता है। ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह सख्त कार्रवाई करके जवाब नहीं दिया। यही वजह है कि ऐसे अराजक तत्वों के हाँसेले पश्चिम बंगाल में बुरलंद हैं। पिछले वर्ष रामनवमी पर जुलूस के दौरान हिंसा भड़कने से करीब दो दर्जन लोग घायल हो गए। इस मामले में भी पश्चिम बंगाल ही सबसे आगे रहा। लखनऊ में मामूली झड़प के अलावा हिंसा की ऐसी वारदातें देश के अन्य

हिस्सों में नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में सरकार चाहे वामपंथियों की रही हो या अब ममता बनर्जी की हो, यह राज्य हिंसा के लिए अभिशाप्त हो गया है। कारण भी स्पष्ट है, सारा संघर्ष सत्ता प्राप्ति का है। देश के ज्यादातर राज्यों में जहां चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न होते हैं, वहीं पश्चिम बंगाल का रिकार्ड हिंसा के कारण दागदार बन गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनावों तक जम कर हिंसा होती रही है। पश्चिम बंगाल में वर्ष 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई, जब तृणमूल ने भाजपा को हराया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनावी नतीजों के बाद हिंसा में 12 लोगों की मौत हुई। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद 5 जून को चुनाव बाद हिंसा की घटनाओं में भाजपा और माकपा समर्थकों को निशाना बनाया गया। दक्षिण में उत्तर 24 परगना जिले और दक्षिण 24 परगना तथा राज्य के जंगलमहल क्षेत्र के झारग्राम सहित कई जिलों में चुनाव बाद हिंसा की घटनाएं सामने आईं। पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान मौके पर पहुंचे, लेकिन सुरक्षा बलों के जाने के बाद उपद्रवी वापस लौट आए और इलाके में तोड़फोड़ की। इसी तरह 8 जून 2023 को बंगाल में जिस दिन से पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद 15 लोगों की हत्या कर दी गई। वर्ष 2003 में जब यहां पंचायत चुनाव हुए थे, तब 76 लोगों की मौत हुई थी। इनमें से 40 से ज्यादा लोग तो वोटिंग वाले दिन मारे गए थे। वर्ष 2013 और 2018 के चुनाव के समय यहां केंद्रीय बलों की तैनाती भी हुई थी, बावजूद उसके हिंसा नहीं थमी थी। बते पांच दशकों में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में करीब 30 हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पिछले दो दशकों में सबसे ज्यादा मौतें सिंगुर और नंदीग्राम आंदोलन में हुई। पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर 1960 के बाद शुरू हुआ। साल 1967 में राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी

### अभिप्राय/धर्म/संस्था

# लोकतांत्रिक संस्थानों के बीच सीमाओं की जंग: क्या नया संकट खड़ा हो रहा है?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल में विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयको को सम्बन्धित राज्यपालों द्वारा अनंत काल तक रोक कर ‘पॉकेट वीटो’ करने की प्रवृत्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने जो निर्णय दिया है, उससे विधायिका में भारी कसमसाहट है। सत्तापक्ष का मानना है कि यह कार्यपालिका के क्षेत्र में न्यायपालिका का अनावश्यक हस्तक्षेप है। अदालतें कार्यपालिक प्रमुखों जैसे राष्ट्रपति और राज्यपालों को निर्देशित कैसे कर सकती हैं। दूसरी तरफ न्यायपालिका का मानना है कि यदि कार्यपालिक प्रमुख अपने संवैधानिक दायित्वों की व्याख्या मनमाने और सियासी गुणा भाग के हिसाब से करेंगे तो न्यायपालिका को न्यायदंड अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा।

तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल के इस मामले में सरकार तो सीधे तौर पर कुछ नहीं कह रही है, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यसभा के सभापति भी हैं, ने तो सीधा सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट सुपर संसद की तरह काम न करे। हालांकि, उपराष्ट्रपति के इस तेवर पर भी विधि विशेषज्ञ दो खेमों में बंट गए हैं, एक इस पर आपत्ति जता रहा है तो दूसरा इसे ‘साहसिक’ बता रहा है। तो क्या अब संविधान के दो मूलभूत अंग न्यायपालिका और कार्यपालिका ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं? क्या यह स्थिति हमारे लोकतंत्र के लिए सुखकर है?

क्या इस सैद्धांतिक द्वंद का कोई सकारात्मक नतीजा निकलेगा या फिर एक दूसरे की मुश्कें कसने की पूर्वपीठिका तैयार की जा रही है? अगर ऐसा है तो यह लोकतंत्र के लिए घातक है। क्योंकि वैचारिक द्वंद होना अलग बात है और अधिकारों का अतिक्रमण और मर्यादा का सीमांकन की जिद होना दूसरी बात।

इस द्वंद्व कार्यपालिका, विधायिका से समर्थन चाहेगी, जो हो भी रहा है। क्योंकि स्वतंत्र और प्रभावी न्यायपालिका ( जो आज खुद सवालों के घेरे में है) अक्सर कार्यपालिका के कान उमेठती रहती है और कभी कभार विधायिका की भी निर्देशित करती है। सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल रवि के मामले में स्पष्ट फैसला देते हुए राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी की समय सीमा 3 माह तय कर दी। कोर्ट ने कहा कि यदि इस समयಾವधि में राज्यपाल विधेयक पर कोई फैसला नहीं लेते हैं तो उन्हें स्वतः कानून माना जाए।

लिहाजा तमिलनाडु में ऐसे 10 विधेयक बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के कानून बन चुके हैं। यह अभूतपूर्व स्थिति है। यही नहीं न्यायपालिका ने राज्यपालों के साथ साथ राष्ट्रपति द्वारा भी किसी विधेयक पर मंजूरी की समयायधि तीन माह तय कर दी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.बी.परादीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ द्वारा दिए गए इन फैसलों को एक वर्ग न्यायपालिका द्वारा अपनी मर्यादा के उल्लंघन के रूप में देख रहा है तो समाज का दूसरा वर्ग इसे न्यायपालिका की सक्रियता



और निर्भीकता का प्रमाण मान रहा है। इस दूसरे वर्ग का मानना है कि अब लोकतंत्र बचने की आस केवल न्यायपालिका से ही है, क्योंकि बाकी दूसरी लोकातांत्रिक संस्थाओं ने सत्तातंत्र की दबंगई के आगे घुटने टेक दिए हैं। जबकि, सत्तातंत्र जिसमें विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका भी शामिल है, इसे अपने अस्तित्व और वैधता पर न्यायपालिका का स्पष्ट अतिक्रमण मान रही है, जोकि पूरी तरह अस्वीकार्य है। सर्वोच्च अदालत से इस फैसले से सरकार विचलित है।

बताया जाता है कि वह जल्द ही इस फैसले पर सुधार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। लेकिन यदि कोर्ट ने अपना फैसला कायम रखा तो क्या सरकार उसे खारिज करने क्या सरकार नया कानून संसद से पास कराएगी? यूं यह कानूनी और संवैधानिक बहस का मुद्दा है कि भारतीय लोकतंत्र के आधारभूत तत्वों की लक्ष्मण रेखाएँ कहां तक हैं? कहां उनका अतिक्रमण होता है और कहां वो शीलभंग के दायरे में हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो उसे कैसे रोका जाए? खास कर उस दौर में जहां न्यायपालिका भी संदेह के घेरे में हो, विधायिका और कार्यपालिका खुद को सर्वेसर्वा मानने लगे।

भारतीय संविधान मूल रूप से तीन पहियों की गाड़ी पर चलता है। ये हैं, विधायिका, जो देश के लिए कानून बनाती है, न्यायपालिका जो कानून की व्याख्या करती है और उसका पालन करवाने की समीक्षा करती है, और कार्यपालिका जिसका काम कानून पर अमल करवाना है। संविधान में ये तीनों अपने आप में स्वतंत्र लेकिन परस्पर जवाबदेह तथा एक दूसरे को संतुलित करने वाली सत्ताएं हैं।

न्यायपालिका से अपेक्षा नहीं है कि वह विधायिका की जगह ले ले या फिर कार्यपालिका ही किसी कानून की मनमानी व्याख्या करने लगे। कार्यपालिका, जिसके पास वास्तविक सत्ता और अधिकार होते हैं, वह विधायिका और न्यायपालिका दोनों के प्रति जवाबदेह है।

संविधान में राज्यपाल को राज्य का संरक्षक माना गया है। लेकिन हकीकत में ज्यादातर मामलों में राज्यपाल दिल्ली सरकार के एजेंट की तरह ही व्यवहार करते हैं और केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के अजेंडे को

प्राथमिकता से पूरा करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। दिक्कत तब होती है, जब राज्य में विपक्षी पार्टी की सरकार होती है। वहां राज्यपालों का व्यवहार राज्य के अभिभावक की तरह कम एक राजनीतिक अभिकर्ता के रूप में ज्यादा दिखाई पड़ता है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को रोकना और रोकने का कारण भी न बताना संवैधानिक खामियों और राजनीतिक स्वार्थों की जवाबदेही और समय सीमा तय कर दी। अर्थात यह काम राज्य प्रमुखों के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि विधानसभा द्वारा पारित बिल के मामले में राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो (पॉकेट वीटो) का अधिकार नहीं है। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका करेगी।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नैतिक रूप से विपक्षी पार्टियों की जीत है, जिसको लेकर सत्तारूढ़ भाजपा और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बिफरे हुए हैं। लिहाजा उन्होंने कुछ बुनियादी संवैधानिक सवाल उठाए हैं, जिनके उत्तर अपेक्षित हैं। उपराष्ट्रपति ने बिलों को मंजूरी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय सीमा तय करने के फैसले पर आपत्ति जताते हुए राज्यसभा के प्रशिक्षुओं के कार्यक्रम में कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकातांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24×7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। आज जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। जबकि सभी को अपनी अपनी सीमा में रहकर काम करना चाहिए। लोकतंत्र में चुनौ हुई सरकार ही सबसे अहम होती है। सभी संस्थाओं को अपनी अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए। राष्ट्रपति ने न्यायपालिका द्वारा दूसरे के मामलों में दखल देने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि खुद न्यायपालिका का

अपने मामलो में आचरण क्या है? दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नकदी मिलने के बाद भी कोई एफआईआर नहीं हुई। क्यों? जबकि जस्टिस वर्मा के घर से जले हुए नोट बरामद हुए थे। ये किसके थे, कहां से आए, कौन और क्यों लाया, ये तमाम सवाल ऐसे हैं, जिनसे न्यायपालिका के भीतर कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को और खाद-पानी मिलता है। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर जस्टिस की जगह यदि कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उसके खिलाफ कई जांच एजेंसियां सक्रिय हो जातीं।

जाहिर है कि विधायिका को न्यायपालिका द्वारा उसकी हदें तय करने के फैसले ने विचलित कर दिया है। लेकिन विधायिका की भी कोई जवाबदेही न हो, यह भी उचित नहीं है। इस बात का जवाब अक्सर इस दलील से दिया जाता है कि जनप्रतिनिधियों को हर पांच साल में जनता के बीच जाकर परीक्षा देनी होती है, उसे पास करना होता है।

जबकि, न्यायपालिका को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि लोग अदालतों की न्यायदान प्रक्रिया और वास्तविक ईसाफ पर नजर नहीं रखते। सच्चा और निष्पक्ष न्याय हो, समय पर हो और न्याय होता हुआ दिखे भी यही न्यायपालिका की लोकातांत्रिक कसौटी है। लेकिन विधायिका और न्यायपालिका किसी गलती या कर्तव्यपालन में खामी के लिए एक दूसरे को न टोकें, यह भी सही नहीं है। क्योंकि दोनों संविधान और उसकी भावना की रक्षा करने की जिम्मेदारी समान रूप से दोनों की है।

उपराष्ट्रपति ने एक अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश की सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति को निर्देशित करने पर उठाया है। उन्होंने कहा कि अदालत राष्ट्रपति को एक तय समय सीमा में कोई काम करने के लिए कैसे निर्देशित कर सकती है? विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी की प्रक्रिया तय है, लेकिन यह प्रक्रिया कितने समय में पूरी करना अनिवार्य है, ऐसा उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है।

यही तर्क केरल के राज्यपाल राजेन्द्र आलैंकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताते हुए दिया था। मगर यहां सवाल केवल समय सीमा भर का नहीं है, बल्कि मंशा का है। यदि कोई बिल राज्यपाल के अधिकार कम करता हो तो भी राज्यपाल को संवैधानिक प्रक्रिया से ही काम करना होगा। क्योंकि उसे मंत्री परिषद की सलाह से ही काम करना है। अगर राज्यपाल की मंशा ऐसे किसी बिल को लटकाने की है तो राज्य सरकार और विधानसभा क्या करे?

संविधान अपनी संस्थाओं को विवेक से काम करने की आजादी तो देता है, लेकिन मनमर्जी और राजनीतिक दुराग्रह से काम करने की इजाजत नहीं देता। ऐसा नहीं है कि राज्यपालों का व्यवहार आज ही देखने में आ रहा है। पहले भी कुछ राज्यपालो का आचरण दिल्ली के सत्ताधीशों के सियासी हितों साधने से प्रेरित रहा है। इनके आचरण से राज्यपाल संस्था की गरिमा को बड़ा ही लगा।

## ट्रंप-जिनपिंग का महा-तमाशा: जब

## कुश्ती सिर्फ जुबानों से होती है

### दुनिया चुपचाप, मूँगफली फोड़ते हुए, दोनों की

### अवल का पोस्टमॉर्टम कर रही है

इस दौर में जब महाशक्तियाँ भिड़ती हैं, तो लगता है जैसे कोई महाभारत हो रही हो। पर अफ़सोस, यहाँ अर्जुन की तीर नहीं, ट्रंप और जिनपिंग की जुबाबें चल रही हैं। मैं तुम पर टैक्स बढ़ाऊंगा! तो मैं तुम्हारी कमर तोड़ दूँगा टैक्स से! मैं चार गुना बढ़ाऊंगा!! तो मैं आठ गुना सूद समेत वसूलूँगा!!!! बातें ऐसी कि सुनकर मिच्री भी शर्मा जाए। पर गाल न सूज रहे, न नाक बह रही है।

सिर्फ शब्दों का धुआँ उड़ रहा है — और इस धुएँ में दुनिया अपनी मूँगफली रोस्ट कर रही है। बाकी दुनिया का हाल क्या है? कुछ देश तो ऐसे आँखें मिचमिचा रहे हैं जैसे कह रहे हों- भाइयों, तुम दोनों लड़ो, हम तो गिरी हुई चीजें बटोर लेंगे। जैसे किसी झगड़े के बाद सड़क पर बिखरी टॉफियों पर भूखे बच्चे टूट पड़ते हैं। भारत का मोर्चा देखिए — विपक्ष ने तो तुरत एक ट्वीट ठोक दिया-

मोदी जी का ट्रंप दोस्त अब दूरी

बना रहा है। सरकार ने भी जवाबी ट्वीट तैयार रखा था- हर संकट में अवसर खोज लेना हमारी पुरानी आदत है। सरकार का उत्साह देख कभी-कभी शक होता है कि कहीं उन्होंने अवसर शास्त्र में डॉक्टरेट तो नहीं कर ली? याद करो जीएसटी के दिन। हर मंत्री का हावभाव ऐसा था जैसे अगले दिन सुबह होते ही सब्जी, दाल, दूध सस्ते नहीं, बल्कि मुफ्त मिलने लगेंगे। पर अब आदमी सब्जी मंडी में जाता है और सोचता है- भैया, टमाटर छोड़ो... टमाटर की फोटो से ही सब्जी बना लें? अब शेयर बाज़ार का हाल सुनिए कल तक जो शेयर मार्केट के क्रिश बन कर उड़ रहे थे, आज ज़मीन पर गिरकर बोल रहे हैं- भैया, FD ही सही थी। कुछ ढीठ लोग मंदी में भी ज्ञान बाँट रहे हैं- बिलकुल सही टाइम है खरीदने का, उठते क्यों हो? ऐसे जैसे कोई डूबते टाइटैनिक पर कहे-

Rela× करो यार, नज़ारा तो देखो कितना अछा है!

सोने की कहानी भी सुनो — लोग सोने के पीछे ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे कृष्ण भगवान ने खुद आकर कहा हो- हे भक्तों, जिसे मिले सोना, वही मोक्ष पाएगा। पर सोना भी क्या चीज है — आज इतराता है, कल आँधे मुँह गिरता है। और फिर वही भक्त मुँह लटकाकर कहते हैं- सोना छोड़कर भुने चने खरीद लेते, तो कम से कम चबाते तो! और असली खिलाड़ी कौन है? वो जो चुपचाप मूँगफली चबाते हुए सोच रहा है- मारो भिड़ो, टैक्स लगाओ, बदले लो... हम तो मूँगफली का भाव बढ़ा कर ही करोड़पति बन जाएंगे। और चलते-चलते... इस दुनिया में लड़ाईयाँ सिर्फ बहादुर नहीं लड़ते, कई बार मूर्ख भी लड़ते हैं। और समझदार? वो हमेशा मूँगफली की दुकान पर सबसे आगे खड़े होते हैं — मुश्कुरते हुए, दुनिया की मूर्खता का मुफ्त में मजा लेते हुए। (राजीव खरे ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़)



# बजरंग दल नेता विकास त्यागी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र

देवबंद स्थित पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में अवैध कब्जा करके बनाई गई कब्र/मजार को हटाने जाने की मांग की



**गौरव सिंघल । सिटी चीफ** सहारनपुर । देवबंद, बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर अवगत कराया है की देवबंद स्थित लो.नि.वि. के अति विशिष्ट अतिथि गृह (गेस्ट हाउस) में अवैध कब्र/मजार चार दीवारी के अंदर

ही बनी हुई है, जो पूरी तरह से अवैध है उक्त अवैध मजार सरकारी भूमि पर कैसे बनी, किसने बनवाई और इसका वहां पर क्या औचित्य है ? यह जांच का विषय है। विकास त्यागी ने बताया की कब्र/मजार सरकारी भूमि पर कब्जा करके बनाई गई है, जो अतिक्रमण भी है। भविष्य में



कोई भी व्यक्ति कब्र को अपने पूर्वजों या वक्फ की सम्पत्ति बताकर एक नये विवाद को जन्म दे सकता है?। इसलिए अवैध कब्र/मजार को हटाना जाना नितांत आवश्यक है। विकास त्यागी ने पत्र की एक प्रति एसडीएम देवबंद युवराज सिंह को भी देते हुए कार्यवाही की मांग की है?।



स्वतंत्र विद्यालय अधिनियम 2018 का पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। यदि जिले में किसी भी स्कूल के द्वारा अभिभावकों को एक ही दुकान से किताब खरीदने ड्रेस बनवाने या

किसी और प्रकार से उत्पीड़न करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहली बार नियमों के उल्लंघन पर 01 लाख रुपए का जुर्माना और उसके बाद दूसरी बार नियमों के उल्लंघन पर 5 लाख रुपए

तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक श्रीमती रेखा, जनपदीय शुल्क नियामक समिति के सदस्य सहित स्कूलों के प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।

# अस्पताल के सामने शासकीय जमीन पर हुई अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई

बड़े-बड़े घरों को किया गया जमीन दोज, करोड़ों की जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त

**रामनरेश विश्वकर्मा । सिटी चीफ** पन्ना, जिले के पर्वई में गुरुवार को प्रशासन द्वारा कटनी रोड पर वार्ड क्रमांक 15 में नवीन अस्पताल भवन के सामने शासकीय जमीन पर अतिक्रमण रूपी घरों को गिराकर करोड़ों की शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया । जानकारी अनुसार माननीय न्यायालय राजस्व प्रकरण क्रमांक 00877/अ - 68 के अनुसार शासकीय आरजी नंबर 3133/1/1 रकबा 4.445 हैक्टेयर भूमि जो मध्य प्रदेश शासन के



एक पोकलेन मशीन लेकर पहुंचे ब शासकीय जमीन पर बने करोड़ों रुपए के घरों को गिराया गया । इस बड़ी कार्यवाही से क्षेत्र में

हड़कंप मच गया है। एसडीएम समीक्षा जैन ने बताया कि आगे भी अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही जारी रहेगी।

**गौरव सिंघल । सिटी चीफ** सहारनपुर । देवबंद, हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल के हालात बद से बदतर हो गए हैं। इसलिए केंद्र को बंगाल की सरकार बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। मिरगपुर गांव में चल रही श्रीराम कथा में पहुंची साध्वी प्राची ने कहा कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है, वह षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। इसलिए केंद्र को चाहिए कि वह वहां की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करें, ताकि वहां कानून व्यवस्था बहाल हो सके और हिंदुओं को सुरक्षित माहौल मिल सके। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि बंगाल इतने दिनों से जल रहा है, वहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अभी तक वहां क्यों नहीं गए।



साध्वी प्राची ने मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या को लेकर हिंदू समाज से

कहा कि वे एक से अधिक बच्चे पैदा करें।

# नगर के अंदर संचालित अंडा मांस की दुकानों पर प्रशासनिक कार्यवाही

जेसीबी मशीन से ढहाई दुकानें, जप्त किया सामान



**रामनरेश विश्वकर्मा । सिटी चीफ** पन्ना, पर्वई नगर में संचालित अंडा,मांस,मछली की दुकानों के विरुद्ध लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी । लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही थी, गुरुवार को एसडीएम समीक्षा जैन सख्त होते हुए नगर में ताबडतोड़ कार्रवाई करते हुए नगर में स्टेट बैंक के आसपास संचालित दुकाने, खटीक मोहल्ला,करही मोड नन्ही पर्वई के साथ नगर परिषद वार्ड 9 पार्सद के घर में संचालित दुकान पर ताबड तोड़ कार्यवाही की। जहां घर के अंदर पोल्ट्री फार्म संचालित था जिसको देखकर पर्वई एसडीएम भड़क गई और उन्होंने तत्काल ही नगर परिषद की टीम को बुलाकर सारी सामग्री को जप्त करवाया, इसके

अलावा कई दुकानों पर जेसीबी मशीन भी चलवाई गई। बता दें कि नगर परिषद द्वारा अंडा मांस मछली के विक्रय हेतु चमरहा नाला प्रार कटनी रोड पर अरण्य भवन के सामने स्थान निर्धारित किया गया है,इसके बावजूद और बार-बार समझाईस देने के बाद भी नगर के अंदर ही दुकानें संचालित की जा रही थी, जिस पर कठोर कार्यवाही की गई । एसडीएम समीक्षा जैन और प्रशासन की इस कार्रवाई से नगर सहित क्षेत्र में प्रशासन की सराहना हो रही है। इस कार्यवाही में तहसीलदार प्रीतिपंथी,नगर परिषद सीएमओ तबस्सुम खान,नायब तहसीलदार राकेश श्रीवास्तव, शिवम गौतम,थाना प्रभारी त्रिवेद त्रिवेदी सहित राजस्व नगर परिषद एवं पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही।

# कर्मचारियों का शोषण कर रही है नीलकंठ कंपनी

भाजपा मीडिया प्रभारी ने की शिकायत, भ्रष्टाचार एवं नियम विरुद्ध किए जा रहे कार्य के जांच की हुई मांग

**सुशिल सोनी । सिटी चीफ** अनूपपुर, भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी राजेश सिंह ने आम्राडांड खुली खदान परियोजना में कार्यरत नीलकंठ कंपनी के द्वारा की जा रही हेरा फेरी एवं श्रमिकों के शोषण के विरोध में कोयला मंत्री भारत सरकार ,केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ,कोल इंडिया के अध्यक्ष,एसईसीएल के अध्यक्ष सहप्रबंध निदेशक , मुख्य सतर्कता अधिकारी बिलासपुर को शिकायत पत्र भेज कर कार्यवाही की मांग की है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजेश सिंह ने पत्र के माध्यम से मांग किया कि एसईसीएल जमुना कोतमा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित खुली खदान परियोजना में पिछले कुछ समय से नीलकंठ कंपनी के द्वारा मिट्टी हटाने एवं कोयले का परिवहन करने की जिम्मेदारी ली गई है लेकिन नीलकंठ कंपनी के द्वारा मिट्टी हटाने और कोयला परिवहन करने के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने के साथ ही मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। नीलकंठ कंपनी के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के कारण एसईसीएल को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है जिसकी जांच कर कार्यवाही की जाए ।

**मिट्टी और कोयला परिवहन के नाम पर की जा रही है हेरा फेरी** श्री सिंह ने कहा कि जमुना कोतमा क्षेत्र के आम्राडांड खुली खदान परियोजना में कार्यरत नीलकंठ कंपनी के द्वारा ओबी हटाने एवं कोयला परिवहन करने के नाम पर बड़े पैमाने पर हेरा फेरी की जा रही है जिसकी जांच कराई जाए ।कम मात्रा में ओबी हटाने और कोयला परिवहन का कार्य किया जा रहा है लेकिन फर्जी बिलों के माध्यम से कंपनी को करोड़ों रुपए की चपत लगाई जा रही है। नीलकंठ कंपनी में कार्य करने वाले मजदूरों का शोषण किया जा रहा है उन्हें एसईसीएल कंपनी द्वारा निर्धारित की गई मजदूरी का भुगतान नहीं दिया जा रहा है मनमाने दर पर मजदूरों को मजदूरी भुगतान कर उनका शोषण हो रहा है जिसकी जांच कराई जाए।**कर्मचारियों को नहीं उपलब्ध हो रहे सुरक्षा के उपकरण** शिकायत में राजेश सिंह ने बताया कि कोयला खदान में मजदूरों को कार्य के दौरान टोपी बेल्ट लाइट गमबूट एवं अन्य सेफ्टी उपकरण उपलब्ध नहीं कराया जाता है जिससे उनके जीवन को हर समय खतरा बना रहता है।**श्रम कानून का हो रहा उल्लंघन** श्री सिंह ने कहा कि नीलकंठ

कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों से 8 घंटे के बदले 12 घंटे कार्य लिया जा रहा है जो कंपनी के दिशा निर्देशों के विपरीत है। श्रम कानून का उल्लंघन करते हुए नीलकंठ कंपनी मनमर्जी के मुताबिक श्रमिकों से काम ले रही है नीलकंठ कंपनी के द्वारा अभी तक एसईसीएल से कार्य के बदले लिए गए भुगतान और किए गए कार्यों की सूक्ष्म जांच कराई जाए।**बिना प्रशिक्षण के लिया जा रहा कार्य** बिना बीटीसी एवं ईएमई प्रशिक्षण के ही खदान के अंदर भारी मात्रा में कर्मचारियों से कार्य कराया जा रहा है जिससे कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है। नीलकंठ कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों को 10 से 120 हजार मासिक वेतन दिया जा रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है जबकि प्रतिदिन 1345 के हिसाब से कर्मचारियों का भुगतान होना चाहिए।**नीलकंठ कंपनी में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों का बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने की व्यवस्था कराई जाए**।भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजेश सिंह ने नीलकंठ कंपनी के द्वारा की गई हेरा फेरी एवं भ्रष्टाचार तथा मजदूरों के शोषण से संबंधित उपरोक्त बिंदुओं की जांच करते हुए कड़ी



कार्यवाही की मांग की है जिससे कि मजदूरों को न्याय मिल सके

और एसईसीएल कंपनी को हो रहे नुकसान को रोका जा सके।

# बाल विवाह की रोकथाम हेतु कार्यशाला सम्पन्न

**सुशिल सोनी । सिटी चीफ** अनूपपुर, कलेक्ट्रेट स्थित सोन सभागार में शुक्रवार को बाल विवाह रोकथाम हेतु विवाह में सेवा प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता जैसे धर्मगुरु, प्रिंटिंग प्रेस, कैटर, होटल, हलवाई, मैरिज गार्डन, टेंट, बैंड बाजा संचालक आदि के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री विनोद परस्ते, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती मंजूषा शर्मा, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति श्री मोहनलाल पटेल, हार्ड सामाजिक संस्था के संभागीय संयोजक श्री



सुशील शर्मा, जिले के विभिन्न सेवा प्रदाता, पियर्स ग्रुप, चाईल्ड लाईन, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी व पर्यवेक्षक आदि उपस्थित थे। कार्यशाला में हार्ड सामाजिक संस्था के संभागीय संयोजक श्री सुशील शर्मा द्वारा विवाह में सेवा प्रदान करने के पूर्व वर-वधु की विवाह योग्य आयु का परीक्षण करने के उपरांत विवाह योग्य आयु पूर्ण होने

पर ही विवाह में सेवा प्रदान करने की समझाईश दी गई। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार से बाल विवाह में सेवा प्रदान करने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधान अंतर्गत सेवा प्रदाता को दो वर्ष का कठोर कारावास की सजा और या एक लाख रूपये अर्थदण्ड का प्रावधान है।

**सुशिल सोनी । सिटी चीफ** अनूपपुर, 14.4.2025 को स्विफ्ट कार क्रमांक एमपी 04 -सीएल- 6830 के चालक द्वारा तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर कोतमा से केशवाही तरफ जाते समय ग्राम बगैहा टोला में उक्त वाहन के चालक द्वारा घायल मृतक ऋषिपाल सिंह पिता लल्लन सिंह उम्र 47 साल निवासी बगैहा टोला में अपने घर पैदल जाते समय एक्सीडेंट करने से आहत को गंभीर चोट आने के कारण सीएससी कोतमा में भर्ती कराया गया स्थिति गंभीर होने से डाक्टर द्वारा जिला

अस्पताल अनूपपुर रेफर किया गया, जहां पर इलाज के दौरान आहत ऋषिपाल सिंह की मृत्यु हो गई मौके से पुलिस अस्पताल चौकी अनूपपुर के द्वारा मर्ग क्रमांक 0/25 धारा 194 बीएनएसएस कायम कर शव पंचनामा कार्यवाही कर पीएम कराया गया जीरो की मर्ग डायरी प्राप्त होने पर थाने में असल नंबर में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया मर्ग जांच दौरान वाहन क्रमांक एमपी 04-सीएल- 6830 के चालक आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 154/25 धारा 281, 125 ए, 106 (1) बीएनएस कायम कर

विवेचना में लिया गया, दौरान विवेचना दिनांक 17/04/2025 को उक्त वाहन क्रमांक एमपी 04-सीएल- 6830 के वाहन स्वामी को धारा 133 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नोटिस दिया जाकर आरोपी चालक सैयद मुख्तार उर्फ बाबू खान पिता स्वर्गीय लुकमान हुसैन उम्र 30 साल निवासी वार्ड नंबर 7 कोतमा से उक्त वाहन जप्त कर आरोपी का अभिरक्षा पत्रक तैयार किया जाकर आरोपी को पारबंद किया गया ,,, उक्त कारवाई सहायक उप निरीक्षक चंद्रहास बांधेकर के द्वारा की गई।









# चौदहवीं का चांद और सुहानी रात ढल चुकी जैसे हिट गाने दिए, नौशाद के साथ रही सुपरहिट जोड़ी

विरह और मोहब्बत की कहानी बर्‍या करता यह खूबसूरत शेर लिखा शकील बदायुनी ने। ऐसे ही तमाम और शेर लिखे। शायरी लिखीं। कविताएं लिखीं और लिखे खूबसूरत फिल्मी गीत। शकील अब इस दुनिया में नहीं हैं, मगर उनके शब्द आज भी महका करते हैं। शकील बदायुनी की आज रविवार 20 अप्रैल को पुर्ण्यतिथि है। जानते हैं उनके बारे में

**बदायूं में जन्म, एएमयू से पढ़ाई और पूरी की पिता की तमन्ना** शकील बदायुनी ने 50 और 60 के दशक में अपना जलवा बिखेरा। उनका जन्म 03 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। उनकी पिता की तमन्ना थी कि बेटा पढ़-लिखकर अफसर बने। पढ़ाई करने के लिए शकील उत्तर प्रदेश की तालानगरी अलीगढ़ गए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। एएमयू से निकलने के बाद शकील ने दिल्ली में सफ्फाई ऑफिसर के तौर पर नौकरी शुरू की। इस तरह पिता की तमन्ना तो पूरी हो गई। मगर, खुद उन्हें तो



धुन सवार थी फिल्मी गीत लिखने की। अलीगढ़ में पढ़ाई के दौरान भी शेर-शायरी और लिखने का शौक उन्होंने बरकरार लिखा था। अब वे मुंबई जाने के भी सपने देखने लगे थे। आखिर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और वर्ष 1944 में मुंबई चले गए। नौशाद साहब के साथ जमी जोड़ी बता दें कि शकील बदायूंनी का असली नाम शकील अहमद था। मगर, बदायूं से होने के चलते उन्होंने उपनाम के तौर पर बदायुनी लगाना शुरू किया और इस तरह वे शकील बदायुनी बन

गए। मुंबई पहुंचकर शकील की मुलाकात फिल्म निर्माता-निर्देशक ए आर करदार से हुई। उन्होंने ही बदायूंनी को संगीतकार नौशाद साहब से मिलवाया और इसके बाद तो उनकी किस्मत खुल गई। बता दें कि शकील बदायूंनी और नौशाद साहब की जोड़ी बॉलीवुड की मशहूर गीतकार और संगीतकार जोड़ियों में शुमार रही। दोनों ने न सिर्फ कई फिल्मों के लिए सुपरहिट गाने दिए, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी इनकी दोस्ती काफी गहरी थी। **नौशाद ने शकील बदायुनी से लिखवाए दर्द के गाने** नौशाद

साहब और शकील की पहली मुलाकात का किस्सा काफी दिलचस्प है। कहा जाता है कि नौशाद साहब ने शकील बदायुनी से कुछ लिखने को कहा था। उन्होंने लिखा, हमदर्द का अफसाना, दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की हम आग लगा देंगे...। शकील साहब के इस गाने से नौशाद साहब बेहद प्रभावित हुए। नौशाद के साथ शकील साहब ने पहली बार फिल्म दर्द के लिए गीत लिखे, जो सुपरहिट हुए। इसके बाद नौशाद साहब ने दर्द, दीदार, बैजू बावरा, मंदर इंडिया, मुगल-ए-आजम, गंगा जमुना और मेरे मेहबूब समेत कई फिल्मों के लिए बदायूंनी से गाने लिखवाए। **आज भी गूजते हैं शकील बदायुनी के गाने** शकील बदायुनी अपने करियर में चौदहवीं का चांद, प्यार किया तो डरना क्या, न जाओ सैंया छुड़ा के बैयां कसम तुम्हारी, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं और सुहानी रात ढल चुकी समेत कई एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए, जो आज भी खूब चाव से सुने जाते हैं।

# टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेकर क्या बोलीं सोहेल खान की एक्स वाइफ ? कहा-‘अफेयर कोई डील-ब्रेकर नहीं है’



झगड़ते रहते हैं और एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तो आप अपने बच्चों को भी अपना सौ प्रतिशत नहीं दे पाते हैं। घर में चिड़चिड़े माता-पिता को देखकर माहौल तनावपूर्ण हो जाता है।' ‘अफेयर कोई डील-ब्रेकर नहीं है’ सीमा सजदेह ने उसी बातचीत में बेवफाई के बारे में बात की और साझा किया कि उनके लिए धोखा देने का मतलब हमेशा रिश्ते का अंत नहीं होता है। उन्होंने कहा, ‘मैं ईमानदारी से कह रही हूं, अफेयर कोई डील-ब्रेकर नहीं है। हम ईसान हैं। आप इससे बढ़ते हैं। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि विवाह में होते हैं जहां आप लगातार

झगड़ते रहते हैं और एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तो आप अपने बच्चों को भी अपना सौ प्रतिशत नहीं दे पाते हैं। घर में चिड़चिड़े माता-पिता को देखकर माहौल तनावपूर्ण हो जाता है।' ‘अफेयर कोई डील-ब्रेकर नहीं है’ सीमा सजदेह ने उसी बातचीत में बेवफाई के बारे में बात की और साझा किया कि उनके लिए धोखा देने का मतलब हमेशा रिश्ते का अंत नहीं होता है। उन्होंने कहा, ‘मैं ईमानदारी से कह रही हूं, अफेयर कोई डील-ब्रेकर नहीं है। हम ईसान हैं। आप इससे बढ़ते हैं। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि विवाह में होते हैं जहां आप लगातार

भले ही आप किसी के बारे में सोच रहे हों, आपने वैसे भी धोखा दिया है।' ‘डील-ब्रेकर वास्तव में यह देखना है कि आप दोनों जीवन में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। जीवन छोटा है, इसे जिएं और खुश रहें। हंसी सबसे अच्छी दवा है और जिस दिन आप साथ में हंसना बंद कर देते हैं, सब खत्म हो जाता है।' **बेटों पर ध्यान दे रही हैं सीमा सजदेह** सीमा सजदेह और सोहेल खान ने साल 1998 में शादी की थी। उनके दो बेटे हैं निर्वाण और योहान। सीमा के अनुसार अब उनका पूरा ध्यान बस अपने बेटों को ज्यादा से ज्यादा समय देना है।

# मुंबई में शुरू हुई पवन कल्याण की हरि हर वीरा मल्लू की शूटिंग, लेकिन ट्विस्ट के साथ

पावर स्टार पवन कल्याण इन दिनों अपनी आगामी बहुप्रतीक्षित फिल्म हरि हर वीरा मल्लू को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इस फिल्म से जुड़ी जानकारी लगातार सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है। वहीं इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में शुरू हो चुकी है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, जिसे जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा।

**मुंबई में हो रही है फिल्म की शूटिंग, लेकिन ट्विस्ट के साथ** 123 डॉट कॉम की एक खबर के अनुसार, फिलहाल, मुंबई में फिल्म की शूटिंग चल रही है, लेकिन यह पहले भाग के लिए नहीं, बल्कि दूसरे भाग के सींस के लिए हो रही है। पहले भाग की यादातर शूटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन पवन कल्याण के कुछ महत्वपूर्ण सींस अभी भी बाकी हैं। यह फिल्म 9 मई, 2025 को



रिलीज हो सकती है। **फैंस को है हरि हर वीरा मल्लू की रिलीज का इंतजार** उम्मीद है कि अप्रैल के आखिर तक हरि हर वीरा मल्लू की डबिंग के साथ इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाएगी। पहले भाग को पूरा करने से पहले ही दूसरे भाग पर काम शुरू होने से प्रशंसक हैरान हैं। पहले भाग का पोस्ट-प्रोडक्शन अभी चल रहा है और निर्माताओं ने कोई अपडेट नहीं दिया है, जिससे रिलीज डेट

को लेकर सवाल उठ रहे हैं। **हरि हर वीरा मल्लू की स्टार कास्ट** फिल्म में पवन कल्याण मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। पलव के अलावा फिल्म में निधि अग्रवाल, बाँबी देओल, नोरा फतेही, नरगिस फाखरी और नासिर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। मेगा सूर्या प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित इस फिल्म का संगीत ऑस्कर विजेता एमएम कोरवानी ने दिया है।

**कन्नड़ सिनेमा में डेब्यू करेगी पूजा हेगड़े, इस एक्टर के साथ BRB में जमेगी जोड़ी**

बॉलीवुड और साउथ फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत चुकीं पूजा हेगड़े अब साउथ फिल्म रेट्रो में नजर आएंगी। इस फिल्म में उनकी जोड़ी साउथ अभिनेता सूर्या के साथ नजर आएगी। वहीं अब पूजा कन्नड़ सिनेमा में अपना लक आजमाने जा रही हैं। जानिए किस अभिनेता के साथ जमेगी पूजा की जोड़ी... पूजा हेगड़े जल्द ही साउथ फिल्म **Retro** में अभिनेता सूर्या के साथ नजर आने वाली हैं। यह फिल्म 1 मई 2025 को सिनेमाघरों में कई भाषाओं में रिलीज की जाएगी। इस फिल्म का निर्देशन कार्तिक सुब्बाराज ने किया है। वहीं अब कई फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत चुकीं पूजा अब कन्नड़ फिल्म में डेब्यू करने वाली हैं। 123 डॉट कॉम की एक खबर के अनुसार, पूजा ने हाल ही में कन्नड़ फिल्म बीआरबी-फर्स्ट ल्टड (बिष्ठा रंगा बाशा) साइन की है। इस फिल्म में पूजा कन्नड़ अभिनेता किन्ना सुदीप के साथ काम नजर आएंगी। हालांकि फिल्म निर्माताओं की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है

# स्पोर्ट्स

# आईपीएल 2025: लखनऊ ने राजस्थान को 2 रन से हराया, आवेश खान के आखिरी ओवर ने बदल दी बाज़ी

**जयपुर।** इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के 36वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसओ) ने रोमांचक अंदाज में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) को 2 रन से शिकस्त दी। सवाई मानसिंह स्टेडियम में शनिवार को खेले गए इस मुकाबले में अंतिम ओवर तक संघर्ष जारी रहा, लेकिन पारी के आखिरी ओवर में आवेश खान की शानदार गेंदबाजी ने लखनऊ को जीत दिला दी। लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 180 रन बनाए। टीम के लिए एडेन मार्करम

ने 66 और आयुष बडोनी ने 50 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारियां खेलीं। अंतिम ओवरों में अब्दुल कदिर के तेज 30 रनों ने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। राजस्थान की ओर से वनिंदु हसरंगा ने सबसे अधिक दो विकेट लिए, जबकि जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा और तुषार देशपांडे को एक-एक सफलता मिली। 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत दमदार रही। यशस्वी जायसवाल और 14 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने पहले विकेट के लिए

85 रनों की तेजतर्रार साझेदारी की। सूर्यवंशी ने 20 गेंदों में दो चौके और तीन छक्कों की मदद से 34 रन बनाए। इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने नीतीश राणा को सस्ते में पवेलियन भेजा। फिर यशस्वी जायसवाल और रियान पराग ने तीसरे विकेट के लिए 62 रनों की साझेदारी कर मैच को राजस्थान की ओर मोड़ने की कोशिश की। यशस्वी ने 52 गेंदों में 74 रन बनाए, लेकिन 17वें ओवर में आवेश खान ने उन्हें आउट कर लखनऊ की वापसी करवाई। इसी ओवर में उन्होंने रियान पराग (39) को भी पगबाधा

आउट कर राजस्थान को झटका दिया। अंतिम ओवर में राजस्थान को जीत के लिए 9 रनों की जरूरत थी, लेकिन आवेश खान ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए शिमरन हेटमायर को आउट कर राजस्थान की उम्मीदें तोड़ दीं। अंत में ध्रुव जुरेल (6 रन) और शुभम दुवे (3 रन) नाबाद लौटे, लेकिन टीम 178 रन ही बना सकी। लखनऊ के लिए आवेश खान ने 3 विकेट झटके और ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ रहे। शार्दुल ठाकुर और एडेन मार्करम को एक-एक सफलता मिली।



# चेन्नई से पिछली हार का बदला लेने उतरेगी मुंबई, धोनी के सामने होगी रोहित-बुमराह की चुनौती

पिछले दो मैच में जीत दर्ज कर चुकी मुंबई इंडियंस की टीम का सामना अब प्रमुख प्रतिद्वंद्वी चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) से होगा। सीएसके ने आईपीएल 2025 के अपने पहले मैच में मुंबई को हराया था। सीएसके और मुंबई के बीच को लेकर प्रशंसकों में हमेशा ही क्रेज रहता है, लेकिन सीएसके की खराब फॉर्म इस चमक को कम कर सकती है। मुंबई की नजरें हालांकि, पिछली हार का बदला लेकर आईपीएल 2025 में जीत की हैट्रिक लगाने पर होंगी। **मुंबई ने जीते पिछले दो मैच** मुंबई ने शुरुआती मैचों की निराशा को पीछे छोड़ते हुए अपने पिछले दो

मैचों में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद को मात देकर अच्छी वापसी की है। हादिक पांड्या की अगुआई वाली टीम तालिका में सातवें पायदान पर है और वह मौजूदा सत्र में जीत की हैट्रिक लगाने के साथ सत्र के अपने पहले मैच के इस टीम से मिली हार का बदला चुकता करना चाहेगी। मुंबई इंडियंस ने अपने पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी से सनराइजर्स हैदराबाद की आक्रमक बल्लेबाजी को बड़ा स्कोर बनाने का मौका नहीं दिया। टीम ने इसके बाद आसानी से जीत के लिए मिले 163 रन के लक्ष्य को छह विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया था।

# जीत की पटरी पर वापसी के लिए आरसीबी लगाएगी जोर, पंजाब के गेंदबाजों से रहना होगा सावधान

आईपीएल 2025 का रोमांच जारी है। रविवार को पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बीच मुम्बईपुर में खेला जाएगा। इस मैच में आरसीबी जीत की पटरी पर वापसी का लक्ष्य लेकर उतरेगी। हालांकि, उनके लिए पंजाब के गेंदबाजों से लड़ना आसान नहीं होगा। **पंजाब से हार का बदला लेना चाहेगी आरसीबी** पंजाब के खिलाफ शुक्रवार को बेंगलुरु में खेले गए मैच में टिम डेविड को छोड़कर आरसीबी का कोई भी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया और टीम को पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा।

आरसीबी के पास फिल सॉल्ट, विराट कोहली, कप्तान रजत पाटीदार और लियाम लिविंगस्टोन जैसे धाकड़ बल्लेबाज हैं लेकिन उनके पास वापसी करने का बहुत कम समय है। **बल्लेबाजों पर बरसे थे कप्तान पाटीदार** पाटीदार ने बेंगलुरु में पंजाब के हाथों पराजय के लिए बल्लेबाजों की नाकामी को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा- विकेट शुरू में बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नहीं था लेकिन हम एक बल्लेबाजी इकाई के तौर पर अच्छा प्रदर्शन कर सके। साझेदारी निभाना महत्वपूर्ण था लेकिन हमने नियमित अंतराल में विकेट गंवाए। यह हमारे लिए

बहुत बड़ा सबक है। **आरसीबी को इन खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद** आरसीबी अभी अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है और अगर उसे शीर्ष चार में जगह बनाए रखनी है तो उसके बल्लेबाजों को जल्द से जल्द अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। आरसीबी विस्फोटक शुरुआत प्रदान करने के लिए सॉल्ट और कोहली पर भरोसा करेगी और मध्य क्रम में स्थिरता प्रदान करने के लिए पाटीदार, लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा, करुणाल पांड्या और डेविड पर जिम्मेदारी होगी। गेंदबाजी के मोर्चे पर, जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार आक्रमण की अगुवाई

करेंगे, लेकिन उन्हें यश दयाल, करुणाल और सुयश शर्मा जैसे गेंदबाजों से अधिक सहयोग की जरूरत पड़ेगी। जहां तक पंजाब किंग्स का सवाल है तो श्रेयस अय्यर की अगुवाई में उनकी टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उसने सात में से पांच मैच में जीत हासिल की है और वह अंक तालिका में दिल्ली कैपिटल्स के बाद दूसरे स्थान पर है। **पंजाब के गेंदबाजों ने किया प्रभावित** पंजाब के गेंदबाजों ने अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। अर्शदीप सिंह, जेवियर बार्टलेट और मार्को यानसन तेज गेंदबाजी के मोर्चे पर शानदार रहे हैं, जबकि लेग स्पिनर युजवेंद्र

चहल ने बीच के ओवरों में महत्वपूर्ण विकेट लेकर खुद को फिर से साबित कर दिया है। **अय्यर ने की चहल की प्रशंसा** अय्यर ने भी पंजाब की जीत में चहल के योगदान की सराहना की। अय्यर ने कहा- मैंने निजी तौर पर चहल से बात की। मैंने उनसे कहा कि आप मैच विजेता हैं और आपको जितना संभव हो हमारे लिए विकेट हासिल करने हैं। आपको रक्षात्मक रवैया अपनाने की जरूरत नहीं है और आप वापसी करने की क्षमता रखते हो। हम एक लेग स्पिनर के तौर पर उनकी इसी बात के लिए प्रशंसा करते हैं। वह आईपीएल में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक है



# इटली की जेलों में पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बना सकेंगे कैदी

**इंटरनेशनल डेस्क.** इटली की जेलों में एक नई और हैरान करने वाली पहल शुरू की गई है। कोर्ट के आदेश पर अब कैदियों को अपने पार्टनर से निजी तौर पर मिलने और शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति दी गई है। इसके लिए जेलों में खास %सेक्स रूम% बनाए जा रहे हैं, जहां दो घंटे तक की अंतरंग मुलाकात की सुविधा होगी। हालांकि इस सुविधा के साथ कुछ नियम भी जोड़े गए हैं, जैसे कि दरवाजा खुला रखना अनिवार्य होगा। यह पहल कैदियों के अधिकारों और मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है।

**कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई पहल**



इस पहल की शुरुआत जनवरी 2024 में एक अदालत के फैसले के बाद हुई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कैदियों को भी

मानवीय अधिकारों के तहत अपने मिलने का हक मिलना चाहिए। जीवनसाथी या पार्टनर से निजी तौर पर

यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड और स्वीडन में पहले से ही ऐसी व्यवस्था है।

**टेनी जेल में बना पहला सेक्स रूम**

इस फैसले के बाद पहला सेक्स रूम इटली के टेनी शहर की एक जेल में बनाया गया है। शुक्रवार को एक कैदी ने यहां पहली बार अपनी महिला मित्र से मुलाकात की। इस रूम में बिस्तर और शौचालय जैसी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। कैदियों को यहां 2 घंटे तक रुकने की इजाजत है।

**दरवाजा खुला रखना होगा**

हालांकि इस सुविधा के साथ एक शर्त भी जोड़ी गई है। कैदियों को अपने पार्टनर के साथ रूम में रहने के दौरान दरवाजा खुला रखना होगा। जेल प्रशासन का कहना है कि अगर किसी भी स्थिति में तुरंत हस्तक्षेप करना पड़े तो गार्ड अंदर आ सकें। यह सुरक्षा

कारणों से जरूरी है।

**निजता और गरिमा का रखा गया ध्यान**

अम्ब्रिया क्षेत्र के लोकपाल ग्यूसेपे कैफोरियो ने इस प्रयोग को सकारात्मक बताया है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब किसी कैदी को बिना गार्ड की मौजूदगी के अपनी पार्टनर से निजी रूप से मिलने का मौका दिया गया। साथ ही निजता और गरिमा की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है।

**अन्य जेलों में भी हो सकती है शुरुआत**

अगर यह प्रयोग सफल रहता है तो आने वाले समय में इटली की अन्य जेलों में भी ऐसी व्यवस्था शुरू की जा सकती है। यह पहल कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य और संबंधों को बनाए रखने के लिए अहम मानी जा

रही है।

**जेलों की खस्ता हालत से जूझ रहा इटली**

गौरतलब है कि इटली की जेलों में पहले से ही भीषण भीड़ है। यहां कुल 62 हजार कैदी हैं जबकि जेलों की क्षमता उससे 21ब कम है। यही वजह है कि यहां आत्महत्याओं की दर भी बढ़ी है। ऐसे में इस पहल को जेल व्यवस्था को और मानवीय बनाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।

**यूरोप में ऐसा क्यों है जरूरी?**

यूरोपीय मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुसार, एक कैदी की सजा का मतलब यह नहीं होता कि उसे उसके परिवार या संबंधों से पूरी तरह अलग कर दिया जाए। वैवाहिक या प्रेम संबंधों का मानसिक संतुलन और जीवन में स्थिरता बनाए रखने में अहम योगदान होता है।

## पोखरा हवाईअड्डे के निर्माण में 14 अरब का घोटाला, चीन ने बनाया; रिपोर्ट में खुलासा

**काठमांडू:** नेपाल की एक संसदीय समिति ने एक चीनी कंपनी द्वारा निर्मित पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के निर्माण में 14 अरब नेपाली रुपये के एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस हवाईअड्डे के निर्माण के लिए चीन से सस्ता ऋण मिला था। प्रतिनिधि सभा की लोक लेखा समिति की उप-समिति की रिपोर्ट में हवाईअड्डे के निर्माण में अनियमितताएं पाई गईं। इस उपसमिति के प्रमुख सांसद राजेंद्र लिंगडेन हैं। रिपोर्ट में लगभग 14 अरब रुपये के गबन को उजागर किया गया है और परियोजना में शामिल कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। पोखरा क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण चीन के 'एकजिम बैंक%' से प्राप्त लगभग 22 अरब रुपये के ऋण से किया गया था। इसका निर्माण चीनी कंपनी द्वारा किया गया तथा निर्माण कार्य 29 दिसंबर, 2022 को



पूरा हुआ था। समझौते के अनुसार, नेपाल को हवाई अड्डे का निर्माण पूरा होने के बाद सात वर्षों तक दो प्रतिशत व्याज दर पर ऋण चुकाना है और फिर अगले 13 वर्षों में मूलधन का भुगतान करना है। उप-

समिति ने इसे अस्वाभाविक बताया कि नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएएन) ने हवाई अड्डे के निर्माण की लागत 14.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर आंकी थी, जबकि चीनी कंपनी के साथ 21.5

करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत से परियोजना का निर्माण करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें सात करोड़ अमेरिकी डॉलर अतिरिक्त राशि जोड़ी गयी थी।

## संघर्षविराम टूटते ही इजरायली बमबारी से दहला गाजा, 90 से अधिक फिलीस्तीनियों की मौत

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 48 घंटों के दौरान इजरायली हवाई हमलों में 90 से अधिक लोग मारे गए हैं। इन हमलों में कई लोग घायल भी हुए हैं। यह घटना इजराइल द्वारा गाजा पर हमलों को तेज करने के दौरान हुई है, और संयुक्त राष्ट्र ने इस बात को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है कि इजरायली रक्षा बल ने गाजा में आवश्यक खाद्य और चिकित्सा सहायता की आवाजाही को रोक दिया है, जिससे वहाँ मानवीय संकट और भी गहरा गया है। पिछले महीने इजराइल और हमास के बीच संघर्षविराम समझ हो गया था, जिसके बाद इजरायल ने फिर से गाजा पर बमबारी तेज कर दी। इजरायली सेना ने गाजा के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और यह क्षेत्र में संघर्ष को और बढ़ा दिया है। इस दौरान सैकड़ों लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। इजरायल की इस बमबारी का उद्देश्य हमास को इस शर्त पर सहमत बनाने के लिए दबाव डालना था कि वे समझौते में



कुछ बदलाव स्वीकार करें। गुरवार की सुबह इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 23 लोग मारे गए। इनमें एक परिवार के 10 सदस्य और एक फोटो पत्रकार शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में कान फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया था। यह हमला इजरायली सेना द्वारा गाजा शहर के विभिन्न हिस्सों में किया गया, जहां नागरिकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमलों का निशाना नागरिक इलाके थे, न कि केवल आतंकी ठिकाने। गाजा में स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। अस्पतालों में

बुरी तरह से घायल लोग इलाज के लिए आ रहे हैं, लेकिन संसाधनों की भारी कमी है। चिकित्सा सेवाओं में दबाव बढ़ने के कारण, अस्पतालों को अपनी कार्यक्षमता सीमित करनी पड़ी है। खाद्य और चिकित्सा सहायता की कमी ने स्थिति और भी बिगाड़ दी है। संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इस हिंसा को रोकने की अपील की है और गाजा में आवश्यक सहायता भेजने की मांग की है, लेकिन फिलहाल स्थिति में कोई ठोस सुधार नहीं हो पाया है।

# यूक्रेन जंग को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा ऐलान

## ईस्टर के मौके पर युद्धविराम की घोषणा

**इंटरनेशनल डेस्क:** रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर शनिवार को सामने आई जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में ईस्टर के अवसर पर ‘अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की। क्रैमलिन ने आज यह जानकारी दी है।

क्रैमलिन के अनुसार, युद्ध विराम शनिवार को शाम छह बजे मास्को



समय (1500 जीएमटी) से ईस्टर रविवार के बाद मध्यरात्रि (2100 जीएमटी) तक चलेगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में अपने युद्ध में ‘ईस्टर युद्धविराम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सोमवार तक लड़ाई रुकी रहेगी। इसके अलावा विदेशी मीडिया के हवाले से ये भी खबर सामने आई है कि रूस के रक्षा मंत्रालय के

अनुसार, रूस और यूक्रेन ने युद्ध के सबसे बड़े आदान-प्रदान में सैकड़ों कैदियों की अदला-बदली की है। पुतिन ने जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव के साथ एक बैठक में कहा,“रूसी पक्ष ‘ईस्टर युद्ध विराम की घोषणा करता है। मैं आदेश देता हूं कि इस अवधि के लिए सभी सैन्य कारवाइयां रोक दी जाएं। पुतिन ने कहा कि हम मानते

हैं कि यूक्रेनी पक्ष हमारे उदाहरण का अनुसरण करेगा। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि हमारे सैनिकों को युद्ध विराम के संभावित उल्लंघन और दुश्मन की ओर से उकसावे, उसके किसी भी आक्रामक कार्य को रोकने के लिए तैयार रहना चाहिए। गौरतलब है कि यह घोषणा उसी दिन की गई जब रूस के रक्षा

मंत्रालय ने कहा कि उसके सुरक्षाबलों ने रूस के कुस्क क्षेत्र में अपने बचे हुए आखिरी ठिकानों में से एक से यूक्रेनी बलों को खदेड़ दिया है। मंत्रालय ने कहा कि रूसी बलों ने यूक्रेन की सीमा पर स्थित ओलेश्यन्या गांव पर नियंत्रण कर लिया है। हालांकि यूक्रेनी अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

## व्यापार

## भारत से अमेरिका को पहली बार समुद्री मार्ग से पहुंचा अनार, बागवानी निर्यात में नई उड़ान

**बिजनेस डेस्क:** भारत ने बागवानी निर्यात के क्षेत्र में एक अहम उपलब्धि हासिल की है। महाराष्ट्र से न्यूयॉर्क तक समुद्री मार्ग से 14 टन अनार की पहली खेप सफलतापूर्वक भेजी गई है। यह कदम अमेरिका जैसे बड़े बाजार में भारत के बागवानी उत्पादों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलता है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरणने अमेरिका के कृषि विभाग के पशु

और पादप स्वास्थ्य निरीक्षण सेवा , राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन और सोलापुर स्थित ICAR-राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर इस पहल को अंजाम दिया है।

समुद्री मार्ग से यह वाणिज्यिक शिपमेंट सफल परीक्षणों के बाद किया गया, जिससे फलों की शेल्फ लाइफ 60 दिन तक बढ़ाई जा सकी। इस खेप में 4,620 बॉक्स शामिल थे और पांच सप्ताह में इसे डिलीवर किया



गया। गुणवत्ता और उपस्थिति दोनों के लिहाज से इसे अमेरिका में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। APEDA अध्यक्ष अभिषेक देव ने कहा, यह प्रयास भारत के बागवानी उत्पादकों को वैश्विक सप्लाई चेन में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। समुद्री मार्ग जैसे विकल्पों से लागत कम होगी और नए बाजारों तक पहुंच बनेगी।

इस निर्यात को मुंबई स्थित के बी

एक्सपोर्ट्स द्वारा संचालित किया गया और वाशी स्थित विक्रिण सुविधा केंद्र से भेजा गया। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2024 में एपीडा ने नियामक प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए अमेरिकी अधिकारियों के साथ आयोजित किया था।

वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने 72,011 मीट्रिक टन अनार का निर्यात किया था जिसकी कीमत 69.08 मिलियन अमेरिकी डॉलर

रही। वहीं, 2024-25 की अप्रैल से जनवरी अवधि में यह निर्यात 59.76 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 21ब की वृद्धि दर्शाता है।

अब तक भारत के प्रमुख अनार निर्यात बाजारों में यूएई, बांग्लादेश, नेपाल, नीदरलैंड, सऊदी अरब और श्रीलंका शामिल थे। अमेरिका की एंट्री से यह सूची और मजबूत हो गई है, जिससे निर्यातकों को नया भरोसा मिला है।

## वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के परिधान निर्यात में दो अंकों की बढ़त, वस्त्र उद्योग दिखा रहा मजबूती

**नई दिल्ली:** वैश्विक आर्थिक दबावों के बावजूद भारत के वस्त्र और परिधान (टेक्सटाइल और एप्पarel) निर्यात में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 6.32% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान परिधान निर्यात का रहा, जिसमें अकेले 10.03% की शानदार बढ़ोतरी हुई है। यह जानकारी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री द्वारा किए गए विश्लेषण में सामने आई है।

**परिधान निर्यात बना मुख्य वृद्धि चालक**

CITI के चेयरमैन राकेश मेहरा ने कहा, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच परिधान निर्यात का मजबूत प्रदर्शन और वस्त्र क्षेत्र में स्थिर वृद्धि भारत के वस्त्र एवं परिधान उद्योग की लचीलापन, अनुकूलन क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय सरकार की व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने वाली नीतियों और नए

व्यापार समझौतों को दिया, जिससे निर्यातकों का आत्मविश्वास बढ़ा है।

**अमेरिका-चीन व्यापार तनाव बना अवसर**

राकेश मेहरा ने यह भी बताया कि अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार तनाव भारत के लिए एक रणनीतिक अवसर है। अमेरिका अब चीन से परे अपने सोर्सिंग विकल्पों में विविधता लाना चाहता है। ऐसे में भारत एक भरोसेमंद और पसंदीदा भागीदार बन सकता

है। इसके लिए भारत को सक्रिय राजनयिक प्रयास और स्थिर टैरिफ नीति सुनिश्चित करनी होगी, उन्होंने कहा।

**मासिक आंकड़ों की स्थिति**

मार्च 2025 में भारतीय वस्त्र निर्यात में 5.81% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि परिधान निर्यात में 3.97% की वृद्धि देखी गई। मार्च 25 में वस्त्र और परिधान के कुल निर्यात में 1.63% की गिरावट आई, यदि इसे मार्च 24 से तुलना करें।

## भारत के उद्यमियों को सशक्त बना रहा है मुद्रा लोन छोटे व्यवसायों के लिए बना आर्थिक संजीवनी

**नई दिल्ली:** भारत को आर्थिक प्रगति की नींव हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर टिकी हुई है। यह क्षेत्र न केवल करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, बल्कि जमीनी स्तर पर नवाचार (इनोवेशन) और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देता है। भारत सरकार ने इसी विचार को ध्यान में रखते हुए 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। यह योजना छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध कराने की एक ऐतिहासिक पहल है।

**मुद्रा लोन असंगठित क्षेत्र की**

**आर्थिक रीढ़**

आज मुद्रा लोन योजना असंगठित और वंचित उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहारा बन चुकी है। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों, महिला उद्यमियों, कारीगरों, फेरीवालों और घरेलू उद्योगों जैसे लाखों लोगों को सशक्त बनाना है, जो पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से अक्सर दूर रह जाते हैं।

**अब तक का प्रभाव**

2015 से अब तक करोड़ों लोगों को मुद्रा लोन के तहत ऋण मिल चुका है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग से आने

वाले उद्यमी शामिल हैं। इस योजना के तहत तीन श्रेणियों में ऋण दिए जाते हैं

शिशु 50,000 तक का ऋण (उद्यम की शुरुआत के लिए)

किशोर् 50,000 से 5 लाख तक का ऋण (बिजनेस विस्तार के लिए)

तरुण 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण (स्थायी व्यवसाय को मजबूती देने के लिए)

उद्यमशीलता को मिली नई ऊर्जा इस योजना के माध्यम से युवाओं को नौकरी ढूँढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनने की प्रेरणा मिली है।